

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 52] नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 24—दिसम्बर 30, 2016 (पौष 3, 1938)

No. 52] NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 24—DECEMBER 30, 2016 (PAUSA 3, 1938)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके (Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4

[PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञाापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं]

[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]

पंजाब केन्द्रीय विश्वविद्यालय, बिठण्डा (पंजाब)

बिटण्डा, जुलाई 2016

केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 के अनुच्छेद 28 की उप—धारा (2) के साथ पठित केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 की द्वितीय अनुसूची के अनुच्छेद 37 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कुलाध्यक्ष की सहमित से अध्यादेश सं. VIII-XX, XXII, XXVI, XXVII और XX(i)-(vi) को अधिसूचित किए जाते हैं।

जगदीप सिंह कुलसचिव

VIII

अनुसंधान बोर्ड [अधिनियम अनुच्छेद 28(ञ)]

1. गठन

अनुसंधान बोर्ड का संघटन निम्नानुसार होगाः

1.1 कुलपति सभापति (पदेन)

1.2 अध्ययन विद्यापीठों के डीन सदस्य (पदेन)

.3 पांच केंद्र समन्वयक, बारी–बारी से सदस्य (पदेन)

1-389 GI/2016 (569)

1.4 कुलपति द्वारा मनोनीत पांच प्रोफ़ेसर, सदस्य प्रत्येक स्कूल से एक से अधिक नहीं हो

1.5 कुलपित द्वारा मनोनीत पांच सह / सहायक प्रोफ़ेसर, सदस्य प्रत्येक स्कुल से एक से अधिक नहीं हो

1.6 कुलपति द्वारा नियुक्त विविध विषयों के सदस्य पांच बाहरी विशेषज्ञ

1.7 कुलसचिव सचिव (पदेन)

2. कार्यालय का कार्यकाल

पदेन सदस्यों को छोड़ कर कार्यालय के अन्य सभी सदस्यों के कार्यकाल की अवधि दो वर्ष होगी।

कार्य

अकादिमक परिषद् के पूर्ण मार्गदर्शन के अधीन अनुसंधान बोर्ड इसके साथ-साथ निम्नलिखित कार्यों का निष्पादन करेंगे:

- 3.1 विश्वविद्यालय में उपलब्ध सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए विद्यापीठों / केंद्रों में अनुसंधान के प्राथमिकता क्षेत्रों, संबंधित केंद्र तथा संकाय—सदस्यों की व्यक्तिगत रुचि के लिए स्वीकार्य प्रमुख महत्त्व वाले क्षेत्रों की ओर ध्यान इंगित करना;
- 3.2 प्रत्येक विद्यापीठ / केंद्र में अनुसंधान की वर्तमान स्थिति का पुनरावलोकन करना व समय—समय पर इनकी प्रगति का समीक्षात्मक परीक्षण करना; और
- 3.3 अकादिमक परिषद् अथवा कुलपित द्वारा प्रदत्त अन्य सभी कार्यों का निष्पादन करना।
- 4. बैठकें

अनुसंधान बोर्ड नियमित रूप से वर्ष में कम से कम एक बार बैठक करेंगे।

5. गणपूर्ति

बोर्ड के कुल सदस्यों के एक तिहाई सदस्यों से इसकी गणपूर्ति होगी।

सूचना

अनुसंधान बोर्ड की किसी भी बैटक के लिए निर्धारित दिनांक से कम से कम एक सप्ताह पहले सूचना जारी की जाएगी।

7. कार्य-संचालन नियम

बैठकों के आयोजन के लिए इस संबंध में विनियमों द्वारा निर्धारित नियम लागू होंगे।

IX

विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों का प्रवेश [अधिनियम अनुच्छेद 6(xviii), 28(1) (क)]

- विश्वविद्यालय द्वारा संचालित विभिन्न कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए विश्वविद्यालय द्वारा समय—समय पर यथा—निर्धारित आवेदन पत्र मान्य होगा।
- 2. विश्वविद्यालय के विभिन्न विद्यापीठों में प्रवेश के लिए आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि विश्वविद्यालय द्वारा प्रत्येक वर्ष निर्धारित की जाएगी।
- विश्वविद्यालय के विद्यापीठों में प्रवेश के लिए अंतिम तिथि प्रत्येक वर्ष विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित की जाएगी।
- 4. आगामी सन्त्रों में विश्वविद्यालय के विद्यापीठों में प्रवेश के लिए विद्यार्थियों की संख्या प्रत्येक वर्ष अकादिमक परिषद् द्वारा निर्धारित की जाएगी।
- 5. विभिन्न अध्ययन कार्यक्रमों में प्रवेश अखिल—भारतीय आधार पर और मेरिट के आधार पर विश्वविद्यालय द्वारा व्यक्तिगत रूप से अथवा अन्य विश्वविद्यालयों के साथ मिलकर आयोजित की गई साझा प्रवेश परीक्षाओं के माध्यम से दिया जाएगा, अथवा ऐसे पाट्यक्रमों, जिनमें विद्यार्थियों की आवक कम हो, अर्हक परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर दिया जाएगा।
- 6. विश्वविद्यालय द्वारा संबंधित विद्यापीठ की गठित प्रवेश समिति के माध्यम से विभिन्न अध्ययन कार्यक्रमों में प्रवेश दिए जाएंगे, जिसमें अध्ययन केंद्र से कुलपित द्वारा मनोनीत 2 से 3 सदस्य होंगे और डीन इसके सभापित होंगे।
- 7. भिन्न-भिन्न केंद्रों के पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु निम्नतम अर्हता का निर्धारण अकादिमक परिषद् अथवा विद्यापीठ के डीन / केंद्र समन्वयक के परामर्श से इसकी उप-सिमित द्वारा विरयतः प्रत्येक वर्ष किया जाएगा, जो कि विनियमों द्वारा प्रदत्त छूट के अधीन रहेगी। विभिन्न पाठ्यक्रमों में आवेदकों को प्रत्येक श्रेणी में मेरिट के क्रम के अनुसार प्रवेश दिया जाएगा।

- 8. केवल वे विद्यार्थी, जिन्होंने किसी राज्य / केंद्र सरकार द्वारा स्थापित या मान्यताप्राप्त भारतीय विश्वविद्यालय / बोर्ड की परीक्षा अथवा ऐसी किसी अन्य परीक्षा जिसे राज्य / केंद्र सरकार / विश्वविद्यालय / भारतीय विश्वविद्यालय संघ द्वारा समतुल्य होने की मान्यता दी गई हो, पास कर चुके विद्यार्थियों को प्रवेश के लिए विचारा जाएगा।
- 9. पिछड़े राज्यों के विद्यार्थियों और विदेशी विद्यार्थियों, जो नोडल मंत्रालय के माध्यम से प्रवेश के लिए विश्वविद्यालय में आवेदन करते हैं, के लिए भारत सरकार द्वारा आरक्षित सीटों के मामले में, यिद आवश्यक हो निर्धारित कोटे के अतिरिक्त पर, आवेदकों को तभी प्रवेश दिया जाएगा यिद वे विश्वविद्यालय द्वारा विभिन्न विद्यापीठों में प्रवेश हेतु निर्धारित निम्नतम अर्हता को पूरा करेंगे। विशेष मामलों में, जहां आवेदक निम्नतम अर्हता को पूरा नहीं करते या आवेदन प्राप्ति की निर्धारित अंतिम तिथि के बाद आवेदन जमा कराते हैं बशर्ते प्रथम सेमेस्टर के आरंभ हुए 10 दिन से अधिक नहीं हुए हों, प्रत्येक व्यक्तिगत मामले में कुलपित के आदेशों के अधीन प्रवेश दिया जा सकता है।
- 10. विश्वविद्यालय द्वारा संचालित अकादिमक कार्यक्रमों में 15 प्रतिशत सीटें अनुसूचित जाति, 7.5 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति तथा 27 प्रतिशत अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित विद्यार्थियों के लिए आरक्षित रखी जाएंगी। बशर्ते विश्वविद्यालय भी छात्राओं अथवा शारीरिक रूप से विकलांग एवं अन्य सुविधाहीन समूहों से संबंधित विद्यार्थियों के प्रवेश के लिए अकादिमक परिषद् की सिफारिशों पर ऐसा विशेष प्रावधान कर सकती है।
- 11. किसी भी विद्यार्थी को सामान्यतः एक बार में एक से अधिक कार्यक्रमों में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।
 - नोटः हालांकि, विश्वविद्यालय के किसी भी नियमित कार्यक्रम में प्रवेशित विद्यार्थी को विश्वविद्यालय अथवा किसी अन्य संस्थान द्वारा संचालित अंश–कालीन प्रमाण–पत्र/ डिप्लोमा कार्यक्रम के लिए अनुमति भी दी जा सकती है।
- 12. विश्वविद्यालय द्वारा संचालित कार्यक्रमों की न्यूनतम एवं अधिकतम अवधि अकादमिक परिषद् द्वारा निर्धारित की जाएगी।
- 13. विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित एनरोलमेंट शुल्क देने के पश्चात् विश्वविद्यालय के विद्यार्थी होने के रूप में एनरोलमेंट होने पर आवेदक को विद्यापीठ के कार्यक्रम में प्रवेश दिया जाएगा।
- 14. यदि किसी भी समय यह पता चलता है कि आवेदक ने प्रवेश पाने के लिए असत्य या गलत तथ्य अथवा अन्य कपटपूर्ण साधनों का प्रयोग किया है, तो विश्वविद्यालय से उसका पंजीकरण समाप्त कर दिया जाएगा।

X

विद्यापीठ बोर्ड [परिनियम 15(2–4)]

प्रत्येक विद्यापीठ में एक विद्यापीठ बोर्ड होगा।

1. संगठन

प्रत्येक विद्यापीठ बोर्ड का संघटन निम्नानुसार होगाः

1.1	विद्यापीठ के डीन	सभापति (पदेन)
1.2	विद्यापीठ के सभी केंद्र समन्वयक	सदस्य (पदेन)
1.3	कुलपति द्वारा मनोनीत विद्यापीठ के छह प्रोफ़ेसर,	सदस्य
	प्रत्येक अध्ययन केंद्र में से एक से अधिक नहीं हो	
1.4	बारी—बारी से वरिष्ठता के आधार पर प्रत्येक केंद्र से	सदस्य
	एक सह प्रोफ़ेसर एवं एक सहायक प्रोफ़ेसर	
1.5	संबंधित विद्यापीठ के सभापति की सिफारिश पर	सदस्य
	कुलपति द्वारा प्रत्येक विद्यापीठ बोर्डी में अंतर–विषय	
	शिक्षण में कार्यरत एक–एक प्रतिनिधि	
1.6	अकादमिक परिषद् द्वारा मनोनीत व्यक्ति, पांच से	सदस्य
	अधिक नहीं, जिन्हें संबंधित विद्यापीठ के केन्द्रों के विषय	
	का विशिष्ट ज्ञान हो और जो विश्वविद्यालय अथवा इसके	
	किसी मान्यताप्राप्त संस्थान का कर्मचारी नहीं हो	

बशर्ते कि केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 के परिनियम 15 (2) के अनुसार प्रथम विद्यापीठ बोर्ड का मनोनयन तीन वर्षों की एक अविध के लिए कार्यकारिणी परिषद द्वारा किया जाएगा।

2. कार्यालय का कार्यकाल

डीन, केंद्र समन्वयकों एवं प्रोफ़ेसर को छोड़ कर कार्यालय के अन्य सभी सदस्यों के कार्यकाल की अवधि दो वर्ष होगी।

3. कार्य

अध्ययन बोर्ड के निम्नलिखित कार्य होंगेः

- 3.1 विद्यापीठ में अध्ययन केंद्र द्वारा संचालित अनुसंधान डिग्री को छोड़ अन्य विभिन्न अध्ययन पाठ्यक्रमों के लिए अकादिमक परिषद तथा अनुसंधान डिग्री के अध्ययन पाठ्यक्रमों के लिए अनुसंधान बोर्ड को सिफारिश करना;
- 3.2 ऐसे विषयों अथवा क्षेत्रों, जो एक से अधिक केंद्र की रुचि के हैं अथवा जो विद्यापीठ के किसी भी केंद्र के कार्यक्षेत्र में नहीं आते हैं, में शिक्षण एवं अनुसंधान कार्य के समन्वय के लिए समिति नियुक्त करना और ऐसी समितियों के कार्य का पर्यवेक्षण करना;
- 3.3 अनुसंधान डिग्रियों को छोड़, केंद्र द्वारा संचालित अन्य पाठ्यक्रमों के लिए संबंधित केन्द्रों के अध्ययन बोर्डों की सिफारिश पर परीक्षकों की नियुक्ति की सिफारिश करना; और
- 3.4 उन सभी कार्यों, जो अधिनियम, परिनियमों और अध्यादेशों द्वारा निर्धारित किए जाएं, और कार्यकारिणी परिषद्, अकादिमक परिषद् अथवा कुलपित द्वारा यथा—निर्दिष्ट सभी मामलों का निष्पादन करना।

4 बैठकें

- 4.1 बोर्ड की बैठकें या तो सामान्य या विशेष होगी।
- 4.2 एक अकादिमक वर्ष में, प्रत्येक सेमेस्टर में कम से कम एक बैठक करते हुए, दो बार सामान्य बैठकें आयोजित की जाएंगी।
- 4.3 विशेष बैठकें विद्यालय के डीन द्वारा स्वतः शुरुआत करते हुए अथवा कुलपित के सुझाव से आयोजित की जा सकती हैं। पूर्व में अधिसूचित मदों को छोड़ कर अन्य किसी भी मद पर विशेष बैठक में चर्चा नहीं की जाएगी।
- गणपूर्ति

बोर्ड के कुल सदस्यों के एक तिहाई सदस्यों से इसकी गणपूर्ति होगी।

सूचन

बोर्ड की किसी भी बैठक के लिए निर्धारित दिनांक से कम से कम एक सप्ताह पहले सूचना जारी की जाएगी।

7. कार्य-संचालन नियम

बैठकों के आयोजन के लिए इस संबंध में विनियमों द्वारा निर्धारित नियम लागू होंगे।

ΧI

अध्ययन बोर्ड

[अधिनियम अनुच्छेद 23, परिनियम (16)]

1. संगठन

प्रत्येक केंद्र के अध्ययन बोर्ड का संघटन निम्नान्सार होगाः

1.1	केंद्र समन्यवक	सभापति (पदेन)
1.2	केंद्र के सभी प्रोफ़ेसर	सदस्य
1.3	बारी—बारी से वरिष्ठता के आधार पर केंद्र से दो सह प्रोफ़ेसर और दो सहायक प्रोफ़ेसर	सदस्य
1.4	कुलपति द्वारा मनोनीत विद्यापीठ के प्रत्येक केंद्र के साझा विषयों के शिक्षण में कार्यरत एक–एक शिक्षक	सदस्य
1.5	संबंधित केंद्र की सिफारिश पर कुलपित द्वारा मनोनीत अन्य विद्यापीठों में संगत विषयों का शिक्षण करने वाले शिक्षक, जो दो से अधिक नहीं होंगे	सदस्य
1.6	विद्यापीठ बोर्ड द्वारा मनोनीत व्यक्ति, तीन से अधिक नहीं, जिन्हें संबंधित केन्द्रों के विषय का विशिष्ट ज्ञान हो और जो विश्वविद्यालय अथवा इसके किसी मान्यताप्राप्त संस्थान का कर्मचारी नहीं हो	सदस्य

2. कार्यालय का कार्यकाल

केंद्र समन्वयकों एवं प्रोफ़ेसर को छोड़ कर कार्यालय के अन्य सभी सदस्यों के कार्यकाल की अवधि दो वर्ष होगी। हालांकि यदि बारी—बारी से मनोनयन हेतु केंद्र में शिक्षकों की संख्या पर्याप्त नहीं हो तो ऐसे सदस्य, जो केंद्र के भी सदस्य हैं, को पुनः मनोनीत किया जा सकता है। 3. कार्य

अध्ययन बोर्ड के निम्नलिखित कार्य होंगे:

- 3.1 केंद्र में शिक्षण एवं अनुसंधान में सुधार के लिए विद्यापीठ बोर्ड को उपायों की सिफारिश करना; और
- 3.2 विद्यापीठ बोर्ड, अकादिमक परिषद्, कार्यकारिणी परिषद् अथवा कुलपित द्वारा प्रदत्त अन्य सभी कार्यों का निष्पादन करना।
- 4. गणपूर्ति

बोर्ड के कुल सदस्यों के एक तिहाई सदस्यों से इसकी गणपूर्ति होगी।

सूचना

बोर्ड की किसी भी बैठक के लिए निर्धारित दिनांक से कम से कम एक सप्ताह पहले सूचना जारी की जाएगी।

6. कार्यवृत्त

बोर्ड के सभापति बोर्ड की बैठकों के कार्यवृत्त रखेंगे।

7. कार्य-संचालन नियम

बैठकों के आयोजन के लिए इस संबंध में विनियमों द्वारा निर्धारित नियम लागू होंगे।

XII

विद्यापीठ में अध्ययन केंद्र [परिनियम 15(5)]

1. संगठन

विद्यापीठ के प्रत्येक केंद्र का संघटन निम्नानुसार होगाः

- 1.1 केंद्र समन्यवक
- 1.2 केंद्र के सभी शिक्षक
- 1.3 केंद्र में अनुसंधान मार्गदर्शन करने वाले व्यक्ति
- 1.4 विद्यापीट के डीन
- 1.5 केंद्र से जुड़े मानद प्रोफेसर, एडजंक्ट प्रोफेसर, प्रतिष्ठित प्रोफेसर, यदि कोई हो,
- 1.6 अध्यादेशों के प्रावधानों के अनुसार ऐसे अन्य व्यक्ति, जो केंद्र के सदस्य हों
- 2. कार्यालय का कार्यकाल

केंद्र समन्वयकों को छोड़ कर कार्यालय के अन्य सभी सदस्यों के कार्यकाल की अवधि दो वर्ष होगी।

3. सभापति

अध्ययन केंद्र के समन्वयक केंद्र की बैठकों का संयोजन एवं अध्यक्षता करेंगे।

4. कार्य

केंद्र के निम्नलिखित कार्य होंगे:

- 4.1 अपने अध्ययन कार्यक्रमों में विद्यार्थियों को प्रवेश देना और ऐसे प्रवेशों हेतु कार्यविधि निर्धारित करना;
- 4.2 केंद्र द्वारा संचालित प्रत्येक पाठ्यक्रम के मृत्यांकन का नम्ना और समय—सारणी अनुमोदित करना ;
- 4.3 शिक्षण पदों का निर्माण एवं समाप्ति से संबंधित प्रस्ताव तैयार करना;
- 4.4 केंद्र द्वारा आरंभ किए जाने वाली अनुसंधान परियोजनाओं का अनुमोदन करना;
- 4.5 अध्ययन कार्यक्रम के लिए पाठ्यक्रम तैयार करना और संदर्भ पुस्तकें एवं अन्य पठन सामग्री का सुझाव देना;
- 4.6 अपने सदस्यों से समितियों का गठन करना और इन समितियों को इनके सामर्थ्य के अधीन विशिष्ट कार्य सौंपना;
- 4.7 अपने शिक्षकों में से विद्यार्थियों के सलाहकारों की नियक्ति करना;
- 4.8 विश्वविद्यालय से संबद्ध अथवा मान्यताप्राप्त संस्थाओं में पाठ्यक्रमों और शिक्षण विषयों के मानकों के अनुरक्षण एवं सुधार तथा सहायतार्थ योजनाएं प्रस्तावित करना; और
- 4.9 संबंधित विद्यापीठ द्वारा सौंपे गए अन्य सभी कार्यों का निष्पादन करना।

5. गणपूर्ति

केंद्र के कुल सदस्यों के एक तिहाई सदस्यों से इसकी गणपूर्ति होगी।

सूचना

केंद्र की किसी भी बैठक के लिए निर्धारित दिनांक से कम से कम दो दिन पहले सूचना जारी की जाएगी।

7. कार्यवृत्त

केंद्र समन्यवक बैठकों के कार्यवृत्त रखेंगे।

कार्य-संचालन नियम

बैठकों के आयोजन के लिए इस संबंध में विनियमों द्वारा निर्धारित नियम लागू होंगे।

- 9. केन्द्रों का कामकाज
 - 9.1 कुल कार्यभार

प्रत्येक संकाय सदस्य का अकादिमक कार्यभार यूजीसी के दिशानिर्देशों के अनुसार अपेक्षित है।

9.2 कार्य की इकाई

व्याख्यान सामान्यतः एक घंटे की अवधि का होगा।

9.3 अकादिमक गतिविधियां

केंद्रों में कार्यरत शिक्षकों को निम्नलिखित कार्यों का निष्पादन करना अपेक्षित है:

- 9.3.1 समुदाय से प्रत्यक्ष संबंध एवं असर वाले अंतर-विषयी अनुसंधान कार्य संचालित करना।
- 9.3.2 विस्तार शिक्षा कार्यक्रमों के रूप में सामाजिक आवश्यकताओं के लिए कार्रवाई आधारित परियोजनाएं संचालित करना।
- 9.3.3 लघू—अवधि डिप्लोमा / प्रमाण—पत्र पाठ्यक्रम, प्रशिक्षण एवं विस्तार कार्यक्रमों का संचालन।
- 9.3.4 व्यावसायिक पाठयक्रमों का संचालन।
- 9.3.5 विश्वविद्यालय के शिक्षण एवं अन्य कार्यक्रमों में सहभागिता।
- 9.4 संकाय सदस्यों के लिए मानक

सभी संकाय सदस्यों से निम्नतम कोर कार्यक्रम लेने की अपेक्षा की जाती है। कोर कार्यक्रम में विभिन्न कार्यक्रमों के व्याख्यान, ट्यूटोरियल / संगोष्ठी / प्रायोगिक / परियोजना कार्य सिम्मिलित होंगे। यदि अपेक्षित हो, संकाय सदस्यों को अन्य विद्यापीठों में कोर / सहायक पाठ्यक्रमों का शिक्षण करना होगा।

- 9.5 समय-सारणी
 - 9.5.1 विद्यापीठ के डीन के परामर्श से प्रत्येक केंद्र सभी संकाय सदस्यों की संलग्नता दर्शाते हुए संपूर्ण अकादिमक कार्यक्रम को सम्मिलित करती एक समय—सारणी तैयार करेंगे।
- 9.6 शोधार्थियों की संख्या

यूजीसी नियमानुसार

XIII

केंद्र समन्वयक [अधिनियम अनुच्छेद ६, परिनियम 15(5)(क)]

1. समन्वयक की नियुक्ति

केंद्र के प्रोफ़ेसरों में से कुलपति द्वारा केंद्र समन्वयक नियुक्त किया जाएगा।

- 2. कार्यालय का कार्यकाल
 - 2.1 केंद्र समन्यवक तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे।
 - 2.2 अधिवर्षिता प्राप्त कर लेने पर केंद्र समन्वयक पद से स्वतः हट जाएंगे
 - 2.3 केंद्र समन्वयक अपने कार्यकाल के दौरान किसी भी समय अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं।
- 3. सभापति

अध्ययन केंद्र के समन्वयक केंद्र की बैठकों का संयोजन एवं अध्यक्षता करेंगे।

4. कार्य

केंद्र समन्यवक डीन के सामान्य पर्यवेक्षण के अधीन निम्नलिखित कार्य करेंगे:

- 4.1 शिक्षण एवं अनुसंधान कार्य संचालित करना;
- 4.2 शिक्षण कार्य के आबंटन के अनुरूप समय-सारणी तैयार करना;
- 4.3 संकाय के माध्यम से कक्षा—कक्षों एवं प्रयोगशालाओं में अनुशासन बनाए रखना,
- 4.4 केंद्र के समुचित कामकाज के लिए केंद्र के शिक्षकों को यथा—आवश्यक ड्यूटियां सौंपना, तथा गैर—शैक्षणिक कर्मचारियों पर नियंत्रण करना; और
- 4.5 संबंधित विद्यापीठ के डीन, अकादिमक परिषद्, कार्यकारिणी परिषद् और कुलपित द्वारा सौंपे गए अन्य सभी कार्यों का निष्पादन करना।

XIV

अध्ययन विद्यापीट के डीन

[अधिनियम अनुच्छेद 13; परिनियम (5)]

1. डीन की नियुक्ति

1.1 विद्यापीठों के प्रत्येक डीन की नियुक्ति बारी—बारी से वरिष्ठता के आधार पर विद्यापीठ के प्रोफ़ेसरों में से कुलपति द्वारा की जाएगी।

बशर्ते कि किसी विद्यापीठ में केवल एक ही प्रोफ़ेसर हो या कोई प्रोफ़ेसर नहीं हो, तो फ़िलहाल बारी-बारी से वरिष्ठता के आधार पर विद्यापीठ के सह प्रोफ़ेसरों में से नियुक्ति की जाएगी।

- 1.2 मूल पद में अपने वेतन के अतिरिक्त डीन विश्वविद्यालय द्वारा समय—समय पर निर्धारित मानदेय प्राप्त करेंगे।
- उन्हास का कार्यालय रिक्त हो अथवा जब डीन बीमारी के कारण, अनुपस्थित हो या किसी अन्य कारण से अपने कार्यालय की ड्यूटियों का निर्वहन करने में असमर्थ हों, तो इस कार्यालय की ड्यूटियों का निष्पादन विष्टतम प्रोफ़ेसर अथवा सह प्रोफेसर, जैसी भी स्थिति हो, द्वारा किया जाएगा।
- विद्यापीठ के डीन विद्यापीठ के अध्यक्ष होंगे, और वे विद्यापीठ में शिक्षण एवं अनुसंधान के मानकों के संचालन एवं अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी होंगे।
- 4. डीन को अध्ययन बोर्डों एवं विद्यापीठ की समितियों की किसी भी बैठक में उपस्थित होने एवं बोलने का अधिकार होगा।
- 5. सभापति

डीन विद्यापीठ बोर्ड की बैठकों संयोजक एवं सभापति होंगे।

6. कार्यालय का कार्यकाल

डीन के कार्यालय की अवधि तीन वर्ष होगी।

बशर्ते कि अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने पर डीन स्वतः पद से हट जाएंगे।

7. कार्य

विद्यापीठ के डीन के निम्नलिखित कार्य होंगे:

- 7.1 केंद्र समन्वयकों के माध्यम से विद्यापीठ में शिक्षण एवं अनुसंधान का समन्वय एवं पर्यवेक्षण करना;
- 7.2 केंद्र समन्वयकों के माध्यम से विद्यापीठ में अंतर—विषयी शिक्षण एवं अनुसंधान कार्य को बढ़ावा देने के लिए उचित कदम उठाना;
- 7.3 केंद्र समन्वयकों के माध्यम से कक्षा—कक्षों में अनुशासन सुनिश्चित करना;
- 7.4 अकादिमक कार्य के मूल्यांकन और व्याख्यानों, टयूटोरियल, संगोष्ठियों अथवा प्रायोगिक कक्षाओं में विद्यार्थियों की उपस्थिति का रिकॉर्ड रखना;
- 7.5 विश्वविद्यालय नियमानुसार विद्यापीठ के विद्यार्थियों की परीक्षाओं की व्यवस्था करना; और
- 7.6 कुलपति द्वारा सौंपे गए अन्य सभी अकादमिक कार्यों का निष्पादन करना।

XV

डीन समिति

[अधिनियम अनुच्छेद 28(1)(ञ)]

1. संक्षिप्त शीर्षक

कुलपति विश्वविद्यालय के सभी डीन की एक समिति गठित करेंगे, जिसे डीन समिति कहा जाएगा।

2. समिति का संगठन

विद्यापीठ के प्रत्येक केंद्र का संघटन निम्नानुसार होगाः

2.1	कुलपति	सभापति
2.2	सम कुलपति	सदस्य
2.3	विद्यापीठों के सभी डीन	सदस्य
2.4	कुलसचिव	सचिव

3. कार्य

समिति के निम्नलिखित कार्य होंगेः

- 3.1 अध्येतावृत्तियां प्रदान करने के लिए आवेदकों का चयन;
- 3.2 परीक्षाओं के आयोजन व इसके परिणाम से उठने वाले मामलों आदि पर विचार करना;
- 3.3 विद्यापीठों एवं केन्द्रों के कामकाज से संबंधित सामान्य अकादिमक मामलों पर विचार करना; और
- 3.4 कुलपित द्वारा यथानिर्दिष्ट ऐसे अन्य मामलों पर विचार करना।
- 4. बैठक

कुलपति के अनुमोदन से कुलसचिव द्वारा समिति की बैठकें बुलाई जाएंगी।

5. गणपूर्ति

समिति के कुल सदस्यों के एक तिहाई सदस्यों से इसकी गणपूर्ति होगी।

कार्य—संचालन नियम

बैठकों के आयोजन के लिए इस संबंध में विनियमों द्वारा निर्धारित नियम लागू होंगे।

XVI

डीन विद्यार्थी कल्याण [परिनियम 36(1)(झ)]

- 1. डीन विद्यार्थी कल्याण (डी.एस.डब्ल्यू.) विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों का सामान्य कल्याण देखेंगे, तथा विद्यार्थियों के बौद्धिक एवं सामाजिक जीवन और कक्षाओं के बाहर के विश्वविद्यालय जीवन के उन पहलुओं, जो उन्हें परिपक्व एवं जिम्मेदार मनुष्य के रूप में उनकी वृद्धि एवं विकास में योगदान देते हैं, के बीच अच्छे व लाभदायक संबंध के लिए उचित प्रोत्साहन प्रदान करेंगे।
- 2. नियुक्ति
 - 2.1 डीन विद्यार्थी कल्याण की नियुक्ति क्लपति द्वारा की जाएगी।
 - 2.2 डीन विद्यार्थी कल्याण अपने मूल पद में अपने वेतन एवं अन्य अनुमेय भत्तों के अतिरिक्त समय-समय पर विश्वविद्यालय द्वारा यथा विनिर्दिष्ट मानदेय आहरित करेंगे।
 - 2.3 डीन विद्यार्थी कल्याण तीन वर्ष की एक अवधि के लिए पदधारण करेंगे, बशर्ते कि वह विश्वविद्यालय के कर्मचारी के रूप में कार्यरत हो।
- जहां तक छात्रावास, खेलकूद, स्वास्थ्य केंद्र और विश्वविद्यालय सांस्कृतिक सिमति का संबंध है, डीन विद्यार्थी कल्याण इनके अध्यक्ष होंगे।
- डीन विद्यार्थी कल्याण, अन्य बातों के साथ-साथ, विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों हेत् मार्गदर्शन एवं परामर्श की व्यवस्था करेंगे।
- 5 कार्य

डीन विद्यार्थी कल्याण अन्य कार्यों के साथ निम्नलिखित कार्यों का निष्पादन करेंगे:

विद्यार्थियों के निकायों का संगठन एवं विकास;

- परामर्शन एवं विद्यार्थी मार्गदर्शन सुविधाएं;
- 5.3 विद्यार्थी मामले समिति के साथ संपर्कः
- 5.4 विद्यार्थियों की अतिरिक्त-पाठ्येत्तर एवं खेलकूद गतिविधियां;
- 5.5 सह-पाठ्येत्तर एवं सामाजिक गतिविधियों में विद्यार्थियों की सहभागिता को बढ़ावा,
- 5.6 विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता;
- विद्यार्थी—संकाय और विद्यार्थी—प्रशासन संबंध;
- 5.8 करियर / नियोजन परामर्श सेवाएं;
- विद्यार्थियों के लिए स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवाएं;
- 5.10 विद्यार्थियों का आवासीय जीवन;
- 5.11 विद्यार्थियों के लिए शैक्षणिक भ्रमण एवं पर्यटन की सुविधाओं की व्यवस्था करना;
- 5.12 देश और / अथवा विदेश में आगे के अध्ययन हेतू विद्यार्थियों के लिए सुविधाएं सुरक्षित करना;
- 5.13 पूर्व—छात्र गतिविधियां।
- 6. डीन विद्यार्थी कल्याण उपरोक्त कार्यों से संबंधित कुलपित द्वारा समय—समय पर उन्हें सौंपी गई शक्तियों का प्रयोग करेंगे तथा ऐसे अन्य कर्त्तव्यों का पालन करेंगे।
- 7. यदि आवश्यक हो डीन विद्यार्थी कल्याण विद्यार्थियों के माता-पिता/अभिभावकों के साथ ऐसे मामलों में बातचीत कर सकते हैं, जिनमें उनकी सहायता एवं सहभागिता की आवश्यकता हो।
- 8. डीन विद्यार्थी कल्याण कुलपित के नियंत्रण के अधीन कार्य करेंगे और वह अनुशासनात्मक समिति के एक सदस्य होंगे।
- 9. डीन विद्यार्थी कल्याण उन विद्यार्थियों के मामले कुलपति को प्रस्तुत कर सकते हैं, जिनमें विशेष ध्यान देने की आवश्यकता हो अथवा जिनका व्यवहार एवं गतिविधियां विश्वविद्यालय के सर्वोत्तम रुचि में नहीं हों।
- 10. डीन विद्यार्थी कल्याण रैगिंग से संबंधित सभी मुद्दों पर आवश्यक कार्रवाइयां करेंगे।
- 11. डीन विद्यार्थी कल्याण वित्तीय लेन-देन के लिए उत्तरदायी होंगे, जिनमें उन्होंने विद्यार्थी गतिविधियां संचालित करने के लिए अग्रिम लिया हो।

XVII

शिक्षण एवं परीक्षा का माध्यम [अधिनियम अनुच्छेद 28(1)(ग)]

विश्वविद्यालय में अनुदेश, अध्ययन, परीक्षा और अनुसंधान का माध्यम, भाषाओं को छोड़ कर, अंग्रेजी अथवा अकादिमक परिषद् द्वारा यथानिर्धारित होगा।

XVIII

परीक्षाओं का आयोजन [अधिनियम अनुच्छेद 28(1)(ग)]

- विश्वविद्यालय की सभी परीक्षाएं (प्रवेश परीक्षा को छोड़ कर) बिठण्डा अथवा ऐसे अन्य स्थानों पर विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित तिथियों को आयोजित की जाएंगी।
- 2. विश्वविद्यालय की परीक्षाएं विश्वविद्यालय द्वारा विनिर्दिष्ट अविध के अध्ययन पाठ्यक्रम को पूरा कर लेने वाले उन विद्यार्थियों के लिए खुली रहेंगी, जिन्होंने इस उद्देश्य से निर्धारित अपेक्षाओं को पूर्ण कर लिया हो।
- 3. किसी भी परीक्षा में उपस्थित होने का आवेदन उस परीक्षा के लिए निर्धारित शुल्क के साथ संबंधित विद्यापीठ के डीन के माध्यम से परीक्षा नियंत्रक को जमा कराया जाएगा, जो कि इस उद्देश्य के लिए समय—समय पर विनिर्दिष्ट तिथि के बाद नहीं हो।
- 4. आवेदक, जिसका आवेदन सही पाया जाए और स्वीकृत हो जाए, को एक प्रवेश पत्र दिया जाएगा जिसे परीक्षा केंद्र में प्रवेश के समय प्रस्तुत करना होगा।
- 5. किसी परीक्षा में उपस्थित होने में असफल होने वाले आवेदक अपने द्वारा दिए गए परीक्षा शुल्क की वापसी का हकदार नहीं होगा।

बशर्ते कि कुलपति के अनुमोदन से परीक्षा नियंत्रक, विनियमों में विनिर्दिष्ट कारणों के चलते, ऐसे आवेदक को बिना किसी शुल्क के भुगतान के अगली परीक्षा में उपस्थित होने की अनुमति दे सकते हैं।

XIX

विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा भुगतानयोग्य शुल्क एवं देयताएं [अधिनियम अनुच्छेद 6(xix), 28(1)(ङ)]

- विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों के लिए भुगतानयोग्य शुल्क एवं देयताएं अकादिमक परिषद की सिफारिश पर कार्यकारिणी परिषद समय-समय पर निर्धारित करेगी।
- 2. विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित दिनांक पर अथवा इससे पहले विद्यार्थी शुल्क एवं देयताओं का भुगतान विश्वविद्यालय द्वारा समय—समय पर यथा निर्धारित भूगतान के तरीके से करेंगे।
- विशेष योग्यजन और / अथवा कार्यकारिणी परिषद् द्वारा विनिर्दिष्ट ऐसी अन्य श्रेणियों से संबंधित विद्यार्थियों को सभी ट्यूशन शुल्कों के भुगतान की छूट दी जाएगी।
- 4. कुलपति के पास समिति की सिफारिश पर किसी विद्यार्थी को पूर्ण / आंशिक मुफ्त-विद्यार्थिता प्रदान करने की शक्ति होगी। मुफ्त-विद्यार्थिता वर्ष से वर्ष के आधार पर स्वीकृत कीई जाएगी।

XX

एम.फिल.-पीएच.डी. एकीकृत कार्यक्रम [अधिनियम अनुच्छेद 28 (1) (ख)]

1. पाठ्यक्रम

संबंधित विद्यापीठ / केंद्र अध्ययन पाठ्यक्रम एवं पाठ्यविवरण निर्धारित करेंगे और अंगीकृत की जाने वाली कार्यप्रणाली विनिर्दिष्ट करेंगे।

- 2. अवधि
 - 2.1 कार्यक्रम पूर्ण करने के लिए न्यूनतम अवधि 08 सेमेस्टर (4 वर्ष) तथा अधिकतम अवधि 12 सेमेस्टर (6 वर्ष) है। इस अवधि में से 03 सेमेस्टर (1.5 वर्ष) एम.फिल. कार्यक्रम पूर्ण करने के लिए आवश्यक हैं, जिसके लिए अधिकतम अवधि क्रमागत पांच सेमेस्टर (2.5 वर्ष) है, अथवा अकादिमक परिषद् द्वारा समय—समय पर यथा निर्धारित की जा सकती है।
 - 2.2 सेमेस्टर की संख्या में वृद्धि, शून्य सेमेस्टर, पुनःप्रवेश, इत्यादि विनियमों के अनुसार होंगे।
- प्रवेश हेत् पात्रता
 - 3.1 विभिन्न एम.फिल.—पीएच.डी. एकीकृत कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए पात्रता मानदंड अकादमिक परिषद् द्वारा यथा अनुमोदित पात्रता होगी।
 - 3.2 अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग और अन्यथा समर्थित (नि:शक्त) वर्ग से संबंधित आवेदकों के लिए सीटों का आरक्षण विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिशानिर्देशों के अनुसार होगा।
- 4. प्रवेश हेत् मानदंड

आवेदक को कार्यक्रम के केवल प्रथम सेमेस्टर (एम.फिल. चरण) में प्रवेश दिया जाएगा।

- 5. प्रवेश प्रक्रिया
 - 5.1 विद्यापीठ / केंद्र की प्रवेश समिति प्रवेश हेतु आवेदनों पर विचार करेगी तथा विश्वविद्यालय द्वारा समय—समय पर यथा निर्धारित प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए विद्यार्थियों को प्रवेश देगी।
 - 5.2 यूजीसी / सीएसआईआर नेट / सलेट / गेट या राज्य अथवा केंद्र स्तर की यूजीसी द्वारा प्रत्यायित कोई अन्य परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने वाले आवेदकों को विश्वविद्यालय द्वारा यथानिर्धारित अतिरिक्त अधिमान दिया जा सकता है।
- कार्यक्रम की रूपरेखा
 - 6.1 मोड्यूलर उपागम के अनुसार एम.फिल.-पीएच.डी. एकीकृत कार्यक्रमों का पाठ्यक्रम निम्नलिखित दो चरणों का होगाः
 - 6.1.1 कार्यक्रम के प्रथम चरण (एम.फिल.) में सैद्धांतिक और प्रायोगिक पाठ्यक्रम (जहां कहीं लागू हो) तथा एक शोध—प्रबंध होगा। श्रेयांक घंटे अकादिमक परिषद द्वारा यथा निर्धारित किए अनुसार होंगे।
 - 6.1.2 कार्यक्रम के द्वितीय चरण (पीएच.डी.) में विस्तृत शोध—प्रबंध और खुली बहस (मौखिक परीक्षा) सम्मिलित होंगे। पीएच.डी. उपाधि के पंजीकरण एवं प्राप्ति हेतु पीएच.डी. कार्यक्रमों के सभी संगत अध्यादेश एवं विनियम लागू होंगे।
- पाट्यक्रम कार्य का मूल्यांकन

निर्धारित विनियमों के अधीन विद्यार्थी के अकादिमक निष्पादन का सतत मूल्यांकन किया जाएगा।

अगले सेमेस्टर में प्रोन्नित

- 8.1 प्रत्येक विद्यार्थी को एम.फिल.—पीएच.डी. एकीकृत कार्यक्रम में अगले सेमेस्टर में प्रोन्नत किया जाएगा, बशर्ते वह अकादिमक परिषद् द्वारा विनियमों के अधीन यथा निर्धारित आवश्यकताओं को पूरा करता हो।
- 8.2 प्रत्येक विद्यार्थी को पाठ्यक्रम कार्य पूर्ण करने और एम.फिल. शोध—निबंध जमा करवाने के पश्चात् पीएच.डी. की उपाधि प्रदान करने वाले इस कार्यक्रम के द्वितीय चरण (चौथे सेमेस्टर) हेतु अस्थायी रूप से पंजीकरण कराने की अनुमित दी जाएगी। एम.फिल. कार्यक्रम सफलतापूर्वक पूर्ण करने और इसके लिए विश्वविद्यालय द्वारा विनिर्दिष्ट अन्य शर्ते पूर्ण करने पर पीएच.डी. में पंजीकरण की पुष्टि की जाएगी।
- 9. पर्यवेक्षक की नियुक्ति

प्रत्येक विद्यार्थी हेतु एक पर्यवेक्षक होगा, जिसे संबंधित विद्यापीठ / केंद्र द्वारा नियुक्त किया जाएगा। अंतर-विषयी शोध के मामले में विनियमों में दिए गए प्रावधानों के अनुसार एक सह-पर्यवेक्षक की नियुक्ति की जा सकती है।

10. शोध-निबंध / शोध-प्रबंध का विषय

विद्यार्थी हेतु शोध—निबंध का विषय स्वयं विद्यार्थी द्वारा पर्यवेक्षक के माध्यम से प्रस्तुत प्रस्ताव के आधार पर विद्यापीट / केंद्र द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।

11. उपाधि प्रदान करना

सफ़ल आवेदकों को प्रवेश दिया जाएगा तथा मास्टर ऑफ़ फिलॉसफी (एम.फिल.) और डॉक्टर ऑफ़ फिलॉसफी (पीएच.डी.), जो भी हो, की अलग–अलग उपाधि दी जाएगी, बशर्ते कि आवेदक विनियमों में विनिर्दिष्ट सभी शर्तों को पूरा करता हो।

12. कार्यक्रम छोडने का विकल्प

यदि इस कार्यक्रम में प्रवेश पाने वाला विद्यार्थी निर्धारित अवधी में एम.फिल. कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न करने की आवश्यकताओं को पूरा कर लेता है, और वह इस कार्यक्रम को छोड़ना चाहता है, तो उसके पास कार्यक्रम को छोड़ने का विकल्प होगा। ऐसे सभी विद्यार्थियों को एम.फिल. की उपाधी प्रदान की जाएगी, बशर्ते कि वे विनियमों के अनुसार सभी शर्तों को पूरा करते हों।

13. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में संग्रहण

एम.फिल.–पीएच.डी. एकीकृत कार्यक्रम की मूल्यांकन प्रक्रिया के सफलतापूर्वक पूर्ण होने और परिणामों की घोषणा के पश्चात् आवेदक शोध–निबंध की दो सॉफ्ट प्रतियां (केवल पठनयोग्य) विश्वविद्यालय को जमा कराएगा, जो एक एक सॉफ्ट प्रति आगे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को इनफ्लिबनेट में अपलोड करने के लिए जमा कराएगा।

XX-(i)

पीएच.डी. कार्यक्रम [अधिनियम अनुच्छेद 28 (1) (ख)]

1. पाठ्यक्रम

संबंधित विद्यापीठ / केंद्र अध्ययन पाठ्यक्रम एवं पाठ्यविवरण निर्धारित करेंगे और अंगीकृत की जाने वाली कार्यप्रणाली विनिर्दिष्ट करेंगे।

- 2. अवधि
 - 2.1 कार्यक्रम पूर्ण करने के लिए न्यूनतम अवधि 05 सेमेस्टर (2.5 वर्ष) तथा अधिकतम अवधि 08 सेमेस्टर (4 वर्ष) अथवा अकादिमक परिषद द्वारा समय—समय पर यथा निर्धारित की जा सकती है।
 - 2.2 सेमेस्टर की संख्या में वृद्धि, श्रून्य सेमेस्टर, पुनःप्रवेश, इत्यादि विनियमों के अनुसार होंगे।
- 3. प्रवेश हेत् पात्रता
 - 3.1 विभिन्न पीएच.डी. कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए पात्रता मानदंड अकादमिक परिषद् द्वारा यथा अनुमोदित पात्रता होगी।
 - 3.2 अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग और अन्यथा समर्थित (नि:शक्त) वर्ग से संबंधित आवेदकों के लिए सीटों का आरक्षण विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिशानिर्देशों के अनुसार होगा।
- 4. प्रवेश हेतु मानदंड

आवेदक को कार्यक्रम के केवल प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश दिया जाएगा।

- 5. प्रवेश प्रक्रिया
 - 5.1 विद्यापीठ / केंद्र की प्रवेश समिति प्रवेश हेतु आवेदनों पर विचार करेगी तथा विश्वविद्यालय द्वारा समय—समय पर यथा निर्धारित प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए विद्यार्थियों को प्रवेश देगी।

5.2 यूजीसी / सीएसआईआर नेट / सलेट / गेट या राज्य अथवा केंद्र स्तर की यूजीसी द्वारा प्रत्यायित कोई अन्य परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने वाले आवेदकों को विश्वविद्यालय द्वारा यथानिर्धारित अतिरिक्त अधिमान दिया जा सकता है।

- 6. कार्यक्रम की रूपरेखा
 - 6.1 मोड्यूलर उपागम के अनुसार पीएच.डी. कार्यक्रमों का पाठ्यक्रम निम्नानुसार होगाः
 - 6.1.1 कार्यक्रम के द्वितीय चरण (पीएच.डी.) में विस्तृत शोध—प्रबंध और खुली बहस (मौखिक परीक्षा) सम्मिलित होंगे।
 - 6.1.2 पीएच.डी. उपाधि के पंजीकरण एवं प्राप्ति हेतु पीएच.डी. कार्यक्रमों के सभी संगत नियम एवं विनियम लागू होंगे।
- पाठ्यक्रम कार्य का मूल्यांकन

निर्धारित विनियमों के अधीन विद्यार्थी के अकादिमक निष्पादन का सतत मूल्यांकन किया जाएगा।

- 8. अगले सेमेस्टर में प्रोन्नति
 - 8.1 प्रत्येक विद्यार्थी को पीएच.डी. कार्यक्रम के अगले सेमेस्टर में प्रोन्नत किया जाएगा, बशर्ते वह अकादिमक परिषद् द्वारा विनियमों के अधीन यथा निर्धारित आवश्यकताओं को पूरा करता हो।
- 9. पर्यवेक्षक की नियुक्ति

प्रत्येक विद्यार्थी हेतु एक पर्यवेक्षक होगा, जिसे संबंधित विद्यापीट / केंद्र द्वारा नियुक्त किया जाएगा। अंतर-विषयी शोध के मामले में विनियमों में दिए गए प्रावधानों के अनुसार एक या एक से अधिक सह-पर्यवेक्षक की नियुक्ति की जा सकती है।

10. शोध-निबंध / शोध-प्रबंध का विषय

विद्यार्थी हेतु शोध—निबंध का विषय स्वयं विद्यार्थी द्वारा पर्यवेक्षक के माध्यम से प्रस्तुत प्रस्ताव के आधार पर विद्यापीठ / केंद्र द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।

11. उपाधि प्रदान करना

सफ़ल आवेदकों को प्रवेश दिया जाएगा तथा डॉक्टर ऑफ़ फिलॉसफी (पीएच.डी.) की उपाधि दी जाएगी, बशर्ते कि आवेदक विनियमों में विनिर्दिष्ट सभी शर्तों को पूरा करता हो।

12. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में संग्रहण

पीएच.डी. कार्यक्रम की मूल्यांकन प्रक्रिया के सफलतापूर्वक पूर्ण होने और परिणामों की घोषणा के पश्चात् आवेदक शोध—निबंध की दो सॉफ्ट प्रतियां (केवल पठनयोग्य) विश्वविद्यालय को जमा कराएगा, जो एक एक सॉफ्ट प्रति आगे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को इनिफ्लबनेट में अपलोड करने के लिए जमा कराएगा।

XX-(ii)

एलएल.एम.—पीएच.डी. एकीकृत कार्यक्रम [अधिनियम की धारा 28(1) (ख)]

1. पाठ्यक्रम

संबंधित विद्यापीठ / केंद्र अध्ययन पाठ्यक्रम एवं पाठ्यविवरण निर्धारित करेंगे और अंगीकृत की जाने वाली कार्यप्रणाली विनिर्दिष्ट करेंगे।

- 2. अवधि
 - 2.1 कार्यक्रम पूर्ण करने के लिए न्यूनतम अवधि 09 सेमेस्टर (4½ वर्ष) तथा अधिकतम अवधि 13 सेमेस्टर (6½ वर्ष) है। इस अवधि में से04 सेमेस्टर (2 वर्ष) एम.एससी. कार्यक्रम पूर्ण करने के लिए आवश्यक हैं, जिसके लिए अधिकतम अवधि क्रमागत छह सेमेस्टर (3 वर्ष) है, अथवा अकादिमक परिषद द्वारा समय—समय पर यथा निर्धारित की जा सकती है।
 - 2.2 सेमेस्टर की संख्या में वृद्धि, शून्य सेमेस्टर, पुनःप्रवेश, इत्यादि विनियमों के अनुसार होंगे।
- 3. प्रवेश हेतु पात्रता
 - 3.1 एलएल.एम. कार्यक्रम में प्रवेश के लिए पात्रता मानदंड अकादिमक परिषद् द्वारा यथा अनुमोदित पात्रता होगी।
 - 3.2 अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग और अन्यथा समर्थित (निःशक्त) वर्ग से संबंधित आवेदकों के लिए सीटों का आरक्षण विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिशानिर्देशों के अनुसार होगा।
- 4. प्रवेश हेत् मानदंड

आवेदक को कार्यक्रम के केवल प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश दिया जाएगा।

- 5. प्रवेश प्रक्रिया
 - 5.1 विद्यापीठ / केंद्र की प्रवेश समिति प्रवेश हेतु आवेदनों पर विचार करेगी तथा विश्वविद्यालय द्वारा समय—समय पर यथा निर्धारित प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए विद्यार्थियों को प्रवेश देगी।

5..2 यूजीसी/सीएसआईआर नेट/सलेट/गेट या राज्य अथवा केंद्र स्तर की यूजीसी द्वारा प्रत्यायित कोई अन्य परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने वाले आवेदकों को विश्वविद्यालय द्वारा यथानिर्धारित अतिरिक्त अधिमान दिया जा सकता है।

6. कार्यक्रम की रूपरेखा

- 6.1 मोड्यूलर उपागम के अनुसार एलएल.एम. कार्यक्रम का पाठ्यक्रम निम्नलिखित दो चरणों का होगाः
 - 6.1.1 कार्यक्रम के प्रथम चरण (एलएल.एम.) में सैद्धांतिक और प्रायोगिक पाठ्यक्रम (जहां कहीं लागू हो) तथा एक शोध—प्रबंध होगा। श्रेयांक घंटे अकादिमक परिषद् द्वारा यथा निर्धारित किए अनुसार होंगे।
 - 6.1.2 कार्यक्रम के द्वितीय चरण (पीएच.डी.) में पाठ्यक्रम कार्य, विस्तृत शोध—प्रबंध और खुली बहस (मौखिक परीक्षा) सम्मिलित होंगे।
 - 6.1.3 एलएल.एम. अथवा पीएच.डी. उपाधि के पंजीकरण एवं प्राप्ति हेतु एलएल.एम.—पीएच.डी. एकीकृत कार्यक्रमों के सभी संगत नियम एवं विनियम लागू होंगे।

7. पाठ्यक्रम कार्य का मूल्यांकन

निर्धारित विनियमों के अधीन विद्यार्थी के अकादिमक निष्पादन का सतत मूल्यांकन किया जाएगा।

8. अगले सेमेस्टर में प्रोन्नति

- 8.1 प्रत्येक विद्यार्थी को एलएल.एम.—पीएच.डी. एकीकृत कार्यक्रम में अगले सेमेस्टर में प्रोन्नत किया जाएगा, बशर्ते वह अकादिमक परिषद् द्वारा विनियमों के अधीन यथा निर्धारित आवश्यकताओं को पूरा करता हो।
- 8.2 प्रत्येक विद्यार्थी को पाठ्यक्रम कार्य पूर्ण करने और एलएल.एम. शोध—निबंध जमा करवाने के पश्चात् पीएच.डी. की उपाधि प्रदान करने वाले इस कार्यक्रम के द्वितीय चरण (5वें सेमेस्टर) हेतु अस्थायी रूप से पंजीकरण कराने की अनुमित दी जाएगी। एलएल.एम. कार्यक्रम सफलतापूर्वक पूर्ण करने और इसके लिए विश्वविद्यालय द्वारा विनिर्दिष्ट अन्य शर्तें पूर्ण करने पर पीएच.डी. में पंजीकरण की पुष्टि की जाएगी।

9. पर्यवेक्षक की नियुक्ति

प्रत्येक विद्यार्थी हेतु एक पर्यवेक्षक होगा, जिसे संबंधित विद्यापीठ / केंद्र द्वारा नियुक्त किया जाएगा। अंतर-विषयी शोध के मामले में विनियमों में दिए गए प्रावधानों के अनुसार एक अथवा एक से अधिक सह-पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की जा सकती है।

10. शोध-निबंध और शोध-प्रबंध का विषय

विद्यार्थी हेतु शोध—निबंध और शोध—प्रबंध का विषय स्वयं विद्यार्थी द्वारा पर्यवेक्षक के माध्यम से प्रस्तुत प्रस्ताव के आधार पर विद्यापीठ / केंद्र द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।

11. उपाधि प्रदान करना

सफ़ल आवेदकों को प्रवेश दिया जाएगा और एलएल.एम. अथवा पीएच.डी., जो भी हो, की उपाधि दी जाएगी, बशर्ते आवेदक विनियमों में विनिर्दिष्ट सभी शर्तों को पूरा करता हो।

12. कार्यक्रम छोडने का विकल्प

यदि इस कार्यक्रम में प्रवेश पाने वाला विद्यार्थी निर्धारित अवधी में एलएल.एम. कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न करने की आवश्यकताओं को पूरा कर लेता है, और वह इस कार्यक्रम को छोड़ना चाहता है, तो उसके पास कार्यक्रम को छोड़ने का विकल्प होगा। ऐसे सभी विद्यार्थियों को एलएल.एम. की उपाधी प्रदान की जाएगी, बशर्ते वे विनियमों के अनुसार सभी शर्तों को पूरा करते हों।

13. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में संग्रहण

एलएल.एम. / पीएच.डी. की मूल्यांकन प्रक्रिया के सफलतापूर्वक पूर्ण होने और परिणामों की घोषणा के पश्चात् आवेदक शोध—निबंध / शोध—प्रबंध, जो भी हो, की दो सॉफ्ट प्रतियां (केवल पठनयोग्य) विश्वविद्यालय को जमा कराएगा, जो एक सॉफ्ट प्रति आगे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को इनफ्लिबनेट वेबसाइट में अपलोड करने के लिए जमा कराएगा।

XX-(iii)

एम.फार्म.—पीएच.डी. एकीकृत कार्यक्रम [अधिनियम की धारा 28(1) (ख)]

1. पाठ्यक्रम

संबंधित विद्यापीठ / केंद्र अध्ययन पाठ्यक्रम एवं पाठ्यविवरण निर्धारित करेंगे और अंगीकृत की जाने वाली कार्यप्रणाली विनिर्दिष्ट करेंगे।

2. अवधि

- 2.1 कार्यक्रम पूर्ण करने के लिए न्यूनतम अविध 09 सेमेस्टर (4½ वर्ष) तथा अधिकतम अविध 13 सेमेस्टर (6½ वर्ष) है। इस अविध में से04 सेमेस्टर (2 वर्ष) एम.एससी. कार्यक्रम पूर्ण करने के लिए आवश्यक हैं, जिसके लिए अधिकतम अविध क्रमागत छह सेमेस्टर (3 वर्ष) है, अथवा अकादिमक परिषद द्वारा समय—समय पर यथा निर्धारित की जा सकती है।
- 2.2 सेमेस्टर की संख्या में वृद्धि, शून्य सेमेस्टर, पुनःप्रवेश, इत्यादि विनियमों के अनुसार होंगे।

3. प्रवेश हेत् पात्रता

- 3.1 एम.फार्म.—पीएच.डी. कार्यक्रम में प्रवेश के लिए पात्रता मानदंड अकादिमक परिषद् द्वारा यथा अनुमोदित पात्रता होगी।
- 3.2 अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग और अन्यथा समर्थित (निःशक्त) वर्ग से संबंधित आवेदकों के लिए सीटों का आरक्षण विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिशानिर्देशों के अनुसार होगा।

4. प्रवेश हेत् मानदंड

आवेदक को कार्यक्रम के केवल प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश दिया जाएगा।

5. प्रवेश प्रक्रिया

- 5.1 विद्यापीठ / केंद्र की प्रवेश समिति प्रवेश हेतु आवेदनों पर विचार करेगी तथा विश्वविद्यालय द्वारा समय—समय पर यथा निर्धारित प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए विद्यार्थियों को प्रवेश देगी।
- 5.2 यूजीसी / सीएसआईआर नेट / सलेट / गेट या राज्य अथवा केंद्र स्तर की यूजीसी द्वारा प्रत्यायित कोई अन्य परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने वाले आवेदकों को विश्वविद्यालय द्वारा यथानिर्धारित अतिरिक्त अधिमान दिया जा सकता है।

6. कार्यक्रम की रूपरेखा

- 6.1 मोड्यूलर उपागम के अनुसार एम.फार्म.-पीएच.डी. एकीकृत कार्यक्रम का पाठ्यक्रम निम्नलिखित दो चरणों का होगाः
 - 6.1.1 कार्यक्रम के प्रथम चरण अर्थात एम.फाम) में सैद्धांतिक और प्रायोगिक पाठ्यक्रम (जहां कहीं लागू हो) तथा एक शोध—प्रबंध होगा। श्रेयांक घंटे अकादिमक परिषद् द्वारा यथा निर्धारित किए अनुसार होंगे।
 - 6.1.2 कार्यक्रम के द्वितीय चरण (पीएच.डी.) में पाठ्यक्रम कार्य, विस्तृत शोध—प्रबंध और खुली बहस (मौखिक परीक्षा) सम्मिलित होंगे।
 - 6.1.3 एम.फार्म. अथवा पीएच.डी. उपाधि के पंजीकरण एवं प्राप्ति हेतु एम.फार्म.—पीएच.डी. एकीकृत कार्यक्रमों के सभी संगत नियम एवं विनियम लागू होंगे।

7. पाठ्यक्रम कार्य का मूल्यांकन

निर्धारित विनियमों के अधीन विद्यार्थी के अकादिमक निष्पादन का सतत मूल्यांकन किया जाएगा।

8. अगले सेमेस्टर में प्रोन्नति

- 8.1 प्रत्येक विद्यार्थी को एम.फार्म.—पीएच.डी. एकीकृत कार्यक्रम में अगले सेमेस्टर में प्रोन्नत किया जाएगा, बशर्ते वह अकादिमक परिषद द्वारा विनियमों के अधीन यथा निर्धारित आवश्यकताओं को पूरा करता हो।
- 8.2 प्रत्येक विद्यार्थी को पाठ्यक्रम कार्य पूर्ण करने और एम.फार्म. शोध—निबंध जमा करवाने के पश्चात् पीएच.डी. की उपाधि प्रदान करने वाले इस कार्यक्रम के द्वितीय चरण (5वें सेमेस्टर) हेतु अस्थायी रूप से पंजीकरण कराने की अनुमित दी जाएगी। एम.फार्म. कार्यक्रम सफलतापूर्वक पूर्ण करने और इसके लिए विश्वविद्यालय द्वारा विनिर्दिष्ट अन्य शर्ते पूर्ण करने पर पीएच.डी. में पंजीकरण की पुष्टि की जाएगी।

9. पर्यवेक्षक की नियुक्ति

प्रत्येक विद्यार्थी हेतु एक पर्यवेक्षक होगा, जिसे संबंधित विद्यापीठ / केंद्र द्वारा नियुक्त किया जाएगा। अंतर–विषयी शोध के मामले में विनियमों में दिए गए प्रावधानों के अनुसार एक अथवा एक से अधिक सह–पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की जा सकती है।

10. शोध-निबंध और शोध-प्रबंध का विषय

विद्यार्थी हेतु शोध—निबंध और शोध—प्रबंध का विषय स्वयं विद्यार्थी द्वारा पर्यवेक्षक के माध्यम से प्रस्तुत प्रस्ताव के आधार पर विद्यापीठ / केंद्र द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।

11. उपाधि प्रदान करना

सफ़ल आवेदकों को प्रवेश दिया जाएगा और एम.फार्म. अथवा पीएच.डी., जो भी हो, की अलग—अलग उपाधि दी जाएगी, बशर्ते आवेदक विनियमों में विनिर्दिष्ट सभी शर्तों को पूरा करता हो।

12. कार्यक्रम छोडने का विकल्प

यदि इस कार्यक्रम में प्रवेश पाने वाला विद्यार्थी निर्धारित अवधी में एम.फार्म. कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न करने की आवश्यकताओं को पूरा कर लेता है, और वह इस कार्यक्रम को छोड़ना चाहता है, तो उसके पास कार्यक्रम को छोड़ने का विकल्प होगा। ऐसे सभी विद्यार्थियों को एम.फार्म. की उपाधि प्रदान की जाएगी, बशर्ते वे विनियमों के अनुसार सभी शर्तों को पूरा करते हों।

13. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में संग्रहण

एम.फार्म. / पीएच.डी. की मूल्यांकन प्रक्रिया के सफलतापूर्वक पूर्ण होने और परिणामों की घोषणा के पश्चात् आवेदक शोध—निबंध / शोध—प्रबंध, जो भी हो, की दो सॉफ्ट प्रतियां (केवल पठनयोग्य) विश्वविद्यालय को जमा कराएगा, जो एक सॉफ्ट प्रति आगे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को इनफ्लिबनेट वेबसाइट में अपलोड करने के लिए जमा कराएगा।

XX(iv)

एम.फिल. कार्यक्रम [अधिनियम अनुच्छेद २८ (१) (ख)]

1. पाठ्यक्रम

संबंधित विद्यापीट / केंद्र अध्ययन पाठ्यक्रम एवं पाठ्यविवरण निर्धारित करेंगे और अंगीकृत की जाने वाली कार्यप्रणाली विनिर्दिष्ट करेंगे।

- 2. अवधि
 - 2.1 कार्यक्रम पूर्ण करने के लिए न्यूनतम अवधि 03 सेमेस्टर (1½ वर्ष) तथा अधिकतम अवधि 05 सेमेस्टर (2½ वर्ष) अथवा अकादमिक परिषद् द्वारा समय—समय पर यथा निर्धारित की जा सकती है।
 - 2.2 सेमेस्टर की संख्या में वृद्धि, शून्य सेमेस्टर, पुनःप्रवेश, इत्यादि विनियमों के अनुसार होंगे।
- प्रवेश हेतु पात्रता
 - 3.1 विभिन्न एम.फिल. कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए पात्रता मानदंड अकादिमक परिषद् द्वारा यथा अनुमोदित पात्रता होगी।
 - 3.2 अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग और अन्यथा समर्थित (नि:शक्त) वर्ग से संबंधित आवेदकों के लिए सीटों का आरक्षण विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिशानिर्देशों के अनुसार होगा।
- प्रवेश हेत् मानदंड

आवेदक को कार्यक्रम के केवल प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश दिया जाएगा।

- प्रवेश प्रक्रिया
 - 5.1 विद्यापीठ / केंद्र की प्रवेश समिति प्रवेश हेतु आवेदनों पर विचार करेगी तथा विश्वविद्यालय द्वारा समय—समय पर यथा निर्धारित प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए विद्यार्थियों को प्रवेश देगी।
 - 5.2 यूजीसी / सीएसआईआर नेट / सलेट / गेट या राज्य अथवा केंद्र स्तर की यूजीसी द्वारा प्रत्यायित कोई अन्य परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने वाले आवेदकों को विश्वविद्यालय द्वारा यथानिर्धारित अतिरिक्त अधिमान दिया जा सकता है।
- 6. कार्यक्रम की रूपरेखा
 - 6.1 मोड्यूलर उपागम के अनुसार एम.फिल. कार्यक्रमों का पाठ्यक्रम निम्नानुसार होगाः
 - 6.1.1 कार्यक्रम में सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक पाठ्यक्रम (जो भी लागू हों) और विस्तृत शोध—निबंध सम्मिलित होंगे।
 - 6.1.2 एम.फिल. उपाधि के पंजीकरण एवं प्राप्ति हेत् एम.फिल. कार्यक्रमों के सभी संगत नियम एवं विनियम लागू होंगे।
- पाठ्यक्रम कार्य का मूल्यांकन

निर्धारित विनियमों के अधीन विद्यार्थी के अकादिमक निष्पादन का सतत मूल्यांकन किया जाएगा।

- 8. अगले सेमेस्टर में प्रोन्नति
 - 8.1 प्रत्येक विद्यार्थी को एम.फिल. कार्यक्रम के अगले सेमेस्टर में प्रोन्नत किया जाएगा, बशर्ते वह अकादिमक परिषद् द्वारा विनियमों के अधीन यथा निर्धारित आवश्यकताओं को पूरा करता हो।
- 9. पर्यवेक्षक की नियुक्ति

प्रत्येक विद्यार्थी हेतु एक पर्यवेक्षक होगा, जिसे संबंधित विद्यापीट / केंद्र द्वारा नियुक्त किया जाएगा। अंतर-विषयी शोध के मामले में विनियमों में दिए गए प्रावधानों के अनुसार एक या एक से अधिक सह-पर्यवेक्षक की नियुक्ति की जा सकती है। 10. शोध-निबंध / शोध-प्रबंध का विषय

विद्यार्थी हेतु शोध—निबंध का विषय स्वयं विद्यार्थी द्वारा पर्यवेक्षक के माध्यम से प्रस्तुत प्रस्ताव के आधार पर विद्यापीठ / केंद्र द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।

11. उपाधि प्रदान करना

सफ़ल आवेदकों को प्रवेश दिया जाएगा तथा मास्टर ऑफ़ फिलॉसफी (एम.फिल.) की उपाधि दी जाएगी, बशर्ते कि आवेदक विनियमों में विनिर्दिष्ट सभी शर्तों को पूरा करता हो।

12. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में संग्रहण

एम.फिल. कार्यक्रम की मूल्यांकन प्रक्रिया के सफलतापूर्वक पूर्ण होने और परिणामों की घोषणा के पश्चात् आवेदक शोध—निबंध की दो सॉफ्ट प्रतियां (केवल पठनयोग्य) विश्वविद्यालय को जमा कराएगा, जो एक एक सॉफ्ट प्रति आगे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को इनिपलबनेट में अपलोड करने के लिए जमा कराएगा।

XX-(v)

एम.टेक. कार्यक्रम [अधिनियम अनुच्छेद 28 (1) (ख)]

1. पाठ्यक्रम

संबंधित विद्यापीठ / केंद्र अध्ययन पाठ्यक्रम एवं पाठ्यविवरण निर्धारित करेंगे और अंगीकृत की जाने वाली कार्यप्रणाली विनिर्दिष्ट करेंगे।

- 2. अवधि
 - 2.1 कार्यक्रम पूर्ण करने के लिए न्यूनतम अवधि 04 सेमेस्टर (2 वर्ष) तथा अधिकतम अवधि 06 सेमेस्टर (3 वर्ष) अथवा अकादिमक परिषद द्वारा समय—समय पर यथा निर्धारित की जा सकती है।
 - 2.2 सेमेस्टर की संख्या में वृद्धि, शून्य सेमेस्टर, पुनःप्रवेश, इत्यादि के प्रावधान विनियमों के अनुसार होंगे।
- 3. प्रवेश हेतु पात्रता
 - 3.1 विभिन्न एम.टेक. कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए पात्रता मानदंड अकादिमक परिषद् द्वारा यथा अनुमोदित पात्रता होगी।
 - 3.2 अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग और अन्यथा समर्थित (नि:शक्त) वर्ग से संबंधित आवेदकों के लिए सीटों का आरक्षण विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिशानिर्देशों के अनुसार होगा।
- 4. प्रवेश हेत् मानदंड

आवेदक को कार्यक्रम के केवल प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश दिया जाएगा।

- प्रवेश प्रक्रिया
 - 5.1 विद्यापीठ / केंद्र की प्रवेश समिति प्रवेश हेतु आवेदनों पर विचार करेगी तथा विश्वविद्यालय द्वारा समय—समय पर यथा निर्धारित प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए विद्यार्थियों को प्रवेश देगी।
 - 5.2 यूजीसी / सीएसआईआर नेट / सलेट / गेट या राज्य अथवा केंद्र स्तर की यूजीसी द्वारा प्रत्यायित कोई अन्य परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने वाले आवेदकों को विश्वविद्यालय द्वारा यथानिर्धारित अतिरिक्त अधिमान दिया जा सकता है।
- 6. कार्यक्रम की रूपरेखा
 - 6.1 मोड्यूलर उपागम के अनुसार एम.टेक. कार्यक्रमों का पाठ्यक्रम निम्नानुसार होगाः
 - 6.1.1 एम.टेक. कार्यक्रम में सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक पाठ्यक्रम (जो भी लागू हों) और विस्तृत शोध—निबंध सिम्मिलित होंगे। श्रेयांक घंटे अकादिमक परिषद् द्वारा यथा निर्धारित किए अनुसार होंगे।
 - 6.1.2 एम.टेक. उपाधि के पंजीकरण एवं प्राप्ति हेत् एम.टेक. कार्यक्रमों के सभी संगत नियम एवं विनियम लागू होंगे।
- पाठ्यक्रम कार्य का मूल्यांकन

निर्धारित विनियमों के अधीन विद्यार्थी के अकादिमक निष्पादन का सतत मूल्यांकन किया जाएगा।

- अगले सेमेस्टर में प्रोन्नित
 - 8.1 प्रत्येक विद्यार्थी को एम.टेक. कार्यक्रम के अगले सेमेस्टर में प्रोन्नत किया जाएगा, बशर्ते वह अकादमिक परिषद् द्वारा विनियमों के अधीन यथा निर्धारित आवश्यकताओं को पूरा करता हो।
- 9. पर्यवेक्षक की नियुक्ति

प्रत्येक विद्यार्थी हेतु एक पर्यवेक्षक होगा, जिसे संबंधित विद्यापीट / केंद्र द्वारा नियुक्त किया जाएगा। अंतर-विषयी शोध के मामले में विनियमों में दिए गए प्रावधानों के अनुसार एक या एक से अधिक सह-पर्यवेक्षक की नियुक्ति की जा सकती है। 10. शोध-निबंध / परियोजना का विषय

विद्यार्थी हेतु शोध—निबंध का विषय स्वयं विद्यार्थी द्वारा पर्यवेक्षक के माध्यम से प्रस्तुत प्रस्ताव के आधार पर विद्यापीठ / केंद्र द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।

11. उपाधि प्रदान करना

सफ़ल आवेदकों को प्रवेश दिया जाएगा तथा मास्टर ऑफ़ टेक्नोलॉजी (एम.टेक.) की उपाधि दी जाएगी, बशर्ते कि आवेदक विनियमों में विनिर्दिष्ट सभी शर्तों को पूरा करता हो।

12. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में संग्रहण

एम.टेक. कार्यक्रम की मूल्यांकन प्रक्रिया के सफलतापूर्वक पूर्ण होने और परिणामों की घोषणा के पश्चात् आवेदक शोध—निबंध की दो सॉफ्ट प्रतियां (केवल पठनयोग्य) विश्वविद्यालय को जमा कराएगा, जो एक एक सॉफ्ट प्रति आगे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को इनिफ्लबनेट में अपलोड करने के लिए जमा कराएगा।

XX-(vi)

एम.ए. / एम.एससी. कार्यक्रम [अधिनियम अनुच्छेद २८ (१) (ख)]

1. पाठ्यक्रम

संबंधित विद्यापीठ / केंद्र अध्ययन पाठ्यक्रम एवं पाठ्यविवरण निर्धारित करेंगे और अंगीकृत की जाने वाली कार्यप्रणाली विनिर्दिष्ट करेंगे।

- 2. अवधि
 - 2.1 कार्यक्रम पूर्ण करने के लिए न्यूनतम अवधि 04 सेमेस्टर (2 वर्ष) तथा अधिकतम अवधि 06 सेमेस्टर (3 वर्ष) अथवा अकादमिक परिषद द्वारा समय—समय पर यथा निर्धारित की जा सकती है।
 - 2.2 सेमेस्टर की संख्या में वृद्धि, शून्य सेमेस्टर, पुनःप्रवेश, इत्यादि के प्रावधान विनियमों के अनुसार होंगे।
- 3. प्रवेश हेत् पात्रता
 - 3.1 विभिन्न एम.ए./एम.एससी. कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए पात्रता मानदंड अकादमिक परिषद् द्वारा यथा अनुमोदित पात्रता होगी।
 - 3.2 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग और अन्यथा समर्थित (नि:शक्त) वर्ग से संबंधित आवेदकों के लिए सीटों का आरक्षण विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिशानिर्देशों के अनुसार होगा।
- 4. प्रवेश हेत् मानदंड

आवेदक को कार्यक्रम के केवल प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश दिया जाएगा।

- प्रवेश प्रक्रिया
 - 5.1 विद्यापीठ / केंद्र की प्रवेश समिति प्रवेश हेतु आवेदनों पर विचार करेगी तथा विश्वविद्यालय द्वारा समय—समय पर यथा निर्धारित प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए विद्यार्थियों को प्रवेश देगी।
- कार्यक्रम की रूपरेखा
 - 6.1 मोड्यूलर उपागम के अनुसार एम.ए./एम.एससी. कार्यक्रमों का पाट्यक्रम निम्नानुसार होगाः
 - 6.1.1 एम.ए. / एम.एससी. कार्यक्रम में सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक पाठ्यक्रम (जो भी लागू हों) और शोध—निबंध सिम्मिलित होंगे। श्रेयांक घंटे अकादिमक परिषद् द्वारा यथा निर्धारित किए अनुसार होंगे।
 - 6.1.2 एम.ए./एम.एससी. उपाधि के पंजीकरण एवं प्राप्ति हेतु एम.ए./एम.एससी. कार्यक्रमों के सभी संगत नियम एवं विनियम लागू होंगे।
- 7. पाठ्यक्रम कार्य का मूल्यांकन

निर्धारित विनियमों के अधीन विद्यार्थी के अकादिमक निष्पादन का सतत मूल्यांकन किया जाएगा।

- अगले सेमेस्टर में प्रोन्नित
 - 8.1 प्रत्येक विद्यार्थी को एम.ए. / एम.एससी. कार्यक्रम के अगले सेमेस्टर में प्रोन्नत किया जाएगा, बशर्ते वह अकादिमक परिषद् द्वारा विनियमों के अधीन यथा निर्धारित आवश्यकताओं को पूरा करता हो।
- 9. पर्यवेक्षक की नियक्ति

प्रत्येक विद्यार्थी हेतु एक पर्यवेक्षक होगा, जिसे संबंधित विद्यापीठ / केंद्र द्वारा नियुक्त किया जाएगा। अंतर–विषयी शोध के मामले में विनियमों में दिए गए प्रावधानों के अनुसार एक या एक से अधिक सह–पर्यवेक्षक की नियुक्ति की जा सकती है। 10. शोध-निबंध का विषय

विद्यार्थी हेतु शोध—निबंध का विषय स्वयं विद्यार्थी द्वारा पर्यवेक्षक के माध्यम से प्रस्तुत प्रस्ताव के आधार पर विद्यापीठ / केंद्र द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।

11. उपाधि प्रदान करना

सफ़ल आवेदकों को प्रवेश दिया जाएगा तथा एम.ए. या एम.एससी., जो भी हो, की उपाधि दी जाएगी, बशर्ते कि आवेदक विनियमों में विनिर्दिष्ट सभी शर्तों को पूरा करता हो।

XXII

प्रतिष्ठित प्रोफ़ेंसर और मानद प्रोफ़ेंसर की नियुक्ति के नियम और शर्तें [अधिनियम अनुच्छेद 6(1)(xvi), 28(1)(ण)]

प्रतिष्ठित प्रोफेसर

- पंजाब केन्द्रीय विश्वविद्यालय अथवा अन्य किसी ख्यातिप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से सेवानिवृत्त प्रोफ़ेसर को एक प्रतिष्ठित प्रोफ़ेसर के रूप में विश्वविद्यालय में अपनी अनुसंधान / शिक्षण गतिविधियां जारी रखने के लिए कार्यकारिणी परिषद् द्वारा आमंत्रित किया जा सकता है।
- प्रतिष्ठित प्रोफ़ेसर की उपाधि केवल उन्हीं विद्वानों को दी जाएगी, जिन्होंने अपने प्रकाशित अनुसंधान कार्यों और शिक्षण के द्वारा अपने विषय में उत्कृष्ट योगदान दिया है।
- प्रतिष्ठित प्रोफ्ंसर को विश्वविद्यालय द्वारा यथा निर्धारित मानदेय दिया जाएगा।
- 4. उन्हें अपनी अनुसंधान / शिक्षण गतिविधियों के निष्पादन के लिए कार्यालय स्थान और अन्य सुविधाएं प्रदान की जाएंगी।

मानद प्रोफ़ेसर

- 1. एक विशिष्ट विद्वान, जो सक्रिय सेवा में हो अथवा अधिवर्षिता प्राप्त हो, को विद्यापीठ के डीन अथवा कुलपति की संस्तुति पर कार्यकारिणी परिषद द्वारा मानद प्रोफ़ेसर के पद पर नियुक्ति के लिए विचारा जा सकता है।
- 2. मानद प्रोफ़ेसर को विश्वविद्यालय द्वारा यथा निर्धारित मानदेय दिया जाएगा।
- मानद प्रोफ़ेसर से आशा की जाती है कि जिस केंद्र से वह जुड़े हुए हैं उस केंद्र की सामान्य अकादिमक गतिविधियों से संबंधित रहेंगे।

XXVI

योजना बोर्ड [अधिनियम अनुच्छेद 28(1)(ञ)]

1. गठन

विश्वविद्यालय अकादिमक परिषद द्वारा समय-समय पर संस्तृत एक योजना बोर्ड का गठन करेगा।

2. संघटन

योजना बोर्ड का संघटन निम्नानुसार होगाः

2.1 कुलपति सभापति (पदेन)
 2.2 सम कुलपति सदस्य (पदेन)
 2.3 विद्यापीठों के डीन सदस्य (पदेन)
 2.4 कुलसचिव सचिव (पदेन)
 2.5 वित्त अधिकारी सदस्य (पदेन)

 2.6
 कार्यकारिणी परिषद् और अकादिमक परिषद
 सदस्य

2.6 कार्यकारिणी परिषद् और अकादिमक परिषद् से एक—एक सदस्य शामिल करते हुए कुलपति द्वारा नामित विविध विषयों के पांच बाहरी विशेषज्ञ

3. सहयोजित सदस्य

बोर्ड के पास सदस्य(यों) को सहयोजित करने और इस बैठक में आमंत्रित करने की शक्ति होगी। इसके पास किसी विशिष्ट प्रस्तावों से निपटने के लिए उप-समितियां नियुक्त करने की शक्ति भी होगी।

4. कार्यालय का कार्यकाल

पदेन सदस्यों को छोड़ कर कार्यालय के अन्य सभी सदस्य एक वर्ष की अवधि के लिए बोर्ड में बने रहेंगे।

5. कार्य

अकादिमक परिषद् के पूर्ण मार्गदर्शन के अधीन योजना बोर्ड इसके साथ-साथ निम्नलिखित कार्यों का निष्पादन करेंगे:

- 5.1 क्षेत्र की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उत्कृष्टता, संगतता, सामाजिक न्याय और विकास को लक्ष्य रख कर अपने स्वयं के परिप्रेक्ष्य परिभाषित करना।
- 5.2 15-20 वर्षों के लिए सुपरिभाषित लक्ष्यों एवं उद्देश्यों को सम्मिलित करती यथार्थ योजना तैयार करना
- 5.3 अध्ययन पाठ्यक्रमों और परीक्षाओं में आवश्यक अकादिमक सुधार करने और अनुसंधान गितविधियों का विस्तृत पिरदृश्य प्राप्त करने हेतु विश्वविद्यालय में प्रशासिनक और योजनागत ढांचे को सुदृढ़ करने के साथ ही योजना विकास योजनाओं का कार्यान्वयन करते हुए यूजीसी द्वारा अनुमोदित विविध कार्यक्रमों को प्रभावशाली ढंग से कार्यान्वित करने के लिए विश्वविद्यालय को सहायता करना।
- 5.4 विकास अनुदान के लिए प्रस्ताव तैयार करना। इनमें अकादिमक भवन, स्टाफ कर्मचारी आवास, शिक्षक आवास/छात्रावास, विद्यार्थियों के छात्रावास और अध्ययन गृह के निर्माण से संबंधित परियोजनाओं की सतत योजनाएं, पुस्तकों, शोधपत्रिकाओं एवं उपकरणों की खरीद, अतिरिक्त शिक्षण स्टाफ की नियुक्ति एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा अनुमोदित अन्य विविध योजनाएं सम्मिलित हैं।
- 6. बैठकें

बोर्ड नियमित रूप से वर्ष में कम से कम एक बार बैठक करेंगे।

7. गणपूर्ति

बोर्ड के कुल सदस्यों के एक तिहाई सदस्यों से इसकी गणपूर्ति होगी।

XXVII

वित्त समिति

[अधिनियम अनुच्छेद 28(ण); परिनियम 17]

1. गढन

विश्वविद्यालय की एक वित्त समिति होगी।

2. संघटन

वित्त समिति का संघटन निम्नानुसार होगाः

 2.1
 कुलपति
 सभापति (पदेन)

 2.2
 सम कुलपति
 सदस्य (पदेन)

 2.3
 कोर्ट द्वारा मनोनीत एक व्यक्ति
 सदस्य (पदेन)

 2.4
 कार्यकारिणी परिषद् से कम से कम
 सदस्य

एक सदस्य शामिल करते हुए कार्यकारिणी परिषद् द्वारा मनोनीत तीन सदस्य

2.5 कुलाध्यक्ष द्वारा मनोनीत तीन व्यक्ति सदस्य

2.6 वित्त अधिकारी सदस्य-सचिव (पदेन)

3. कार्यालय का कार्यकाल

पदेन सदस्यों को छोड़ कर वित्त समिति के अन्य सभी सदस्य तीन वर्ष की अवधि के लिए समिति में बने रहेंगे।

- 4. कार्य
 - 4.1 वार्षिक लेखा और वित्तीय आकलन की जांच करना।
 - 4.2 कार्यकारिणी परिषद् के विचार और अनुमोदन के लिए विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखा और वित्तीय बजट पर विचार और टिप्पणी करना।
 - 4.3 पदों के सृजन एवं अन्य मदों, जिन्हें बजट में सम्मिलित नहीं किया गया है, से संबंधित सभी प्रस्तावों की जांच करना।
 - 4.4 विश्वविद्यालय की आय और संसाधनों (उत्पादक कार्यों की स्थिति में ऋणों की प्राप्ति सहित) पर आधारित वर्ष के लिए कुल आवर्ती व्यय और कुल अनावर्ती व्यय की सीमाओं की संस्तुति करना
- 5. बैठकें

वित्त समिति नियमित रूप से वर्ष में कम से कम तीन बार बैठक करेंगे।

6. गणपूर्ति

वित्त समिति के पांच सदस्यों से इसकी गणपूर्ति होगी।

केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 के परिनियम 18(2) में संशोधन

क्रमांक	वर्तमान	संशोधित
(1)	(2)	(3)

1 नीचे दी गई तालिका के कॉलम 1 में विनिर्दिष्ट पदों पर नियुक्ति हेतु चयन समिति कुलपित, कुलाध्यक्ष का एक नामिती और कॉलम 2 में संबंधित प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों से गठित होगीः तालिका

2 1 प्रोफेसर विद्यापीट का डीन। (i) विभागाध्यक्ष, यदि वह प्रोफेसर हो। (ii) प्रोफेसर के विषय से संबंधित विशेष ज्ञान, अथवा (iii) रुचि के लिए अकादिमक परिषद द्वारा संस्तृत नामों के पैनल में से कार्यकारिणी परिषद द्वारा नामित तीन व्यक्ति, जो विश्वविद्यालय की सेवा में नहीं हो। सह प्रोफेसर / सहायक विभागाध्यक्ष। (i) प्रोफेसर कुलपति द्वारा नामित एक प्रोफेसर। (ii) (iii) सह प्रोफेसर अथवा सहायक प्रोफेसर के विषय से संबंधित विशेष ज्ञान, अथवा रुचि के लिए अकादिमक परिषद् द्वारा संस्तुत नामों के पैनल में से कार्यकारिणी परिषद् द्वारा नामित दो व्यक्ति, जो विश्वविद्यालय की सेवा में नहीं हो। कुलसचिव / वित्त कार्यकारिणी परिषद द्वारा अपने सदस्यों में से नामित (i) अधिकारी / परीक्षा नियंत्रक दो व्यक्ति। कार्यकारिणी परिषद् द्वारा नामित एक व्यक्ति, जो (ii) विश्वविद्यालय की सेवा में नहीं हो। पुस्तकालयाध्यक्ष कार्यकारिणी परिषद द्वारा नामित दो व्यक्ति, जो (i) विश्वविद्यालय की सेवा में नहीं हो और जिन्हें पुस्तकालय विज्ञान के विषय अथवा पुस्तकालय प्रशासन का विशेष ज्ञान हो। कार्यकारिणी परिषद् द्वारा नामित एक व्यक्ति, जो (ii) विश्वविद्यालय की सेवा में नहीं हो। तीन व्यक्ति, जो विश्वविद्यालय की सेवा में नहीं हो, जिनमें से विश्वविद्यालय द्वारा पोषित महाविद्यालय अथवा महाविद्यालय अथवा संस्थान द्वारा प्रदान किए जा रहे अनुदेशों में संस्थान का प्राचार्य विशेष ज्ञान अथवा रुचि के लिए कार्यकारिणी परिषद द्वारा नामित दो व्यक्ति तथा अकादमिक परिषद द्वारा नामित एक व्यक्ति शामिल हैं। जहां एक अंतरविषयी परियोजना के लिए नियक्ति की नोट.1 -जा रही हो, परियोजना के अध्यक्ष को संबंधित विभाग का अध्यक्ष माना जाएगा। कुलपति द्वारा मनोनीत किए जाने वाले प्रोफेसर उस नोट.2 -विषय, जिसके लिए प्रोफेसर का चयन किया जा रहा है, से संबंधित विशेषज्ञता प्राप्त होगा और कुलपति प्रोफेसर नामित करने से पूर्व विभागाध्यक्ष तथा विद्यापीठ के डीन से परामर्श करेंगे।

प्रोफेसर, सह और सहायक कुलसचिव, प्रोफेसर, वित्त परीक्षा अधिकारी, पुस्तकालयाध्यक्ष और विश्वविद्यालय द्वारा पोषित महाविद्यालय अथवा संस्थान के प्राचार्य के पद के लिए चयन समिति इस विषय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विद्यमान नियमनों के अनुसार गठित की जाएगी।

> जगदीप सिंह कुलसचिव

CENTRAL UNIVERSITY OF PUNJAB, BATHINDA (PUNJAB)

Bathinda, the July 2016

In exercise of the powers conferred by Sub Section (2) of Section 28 of the Central Universities Act, 2009 read with Section 37 of the Second Schedule of the Central Universities Act, 2009, the Ordinances No. VIII-XX, XXII, XXVI, XXVII and XX(i)-(vi) are notified with the consent of the Visitor.

VIII

BOARD OF RESEARCH

[Act Section 28(j)]

1. Constitution

The Board of Research shall consist of the following:

1.1	Vice Chancellor	Chairperson (Ex-officio)
1.2	Deans of Schools of Studies	Members (Ex-officio)
1.3	Five Coordinators of Centres, by rotation	Members (Ex-officio)
1.4	Five Professors to be nominated by the Vice Chancellor, not more than one from each School.	Members
1.5	Five Associate/Assistant Professors to be nominated by the Vice Chancellor, not more than one from each School	Members
1.6	Five external experts from varied disciplines, to be appointed by the Vice Chancellor	Members
1.7	Registrar	Secretary (Ex-officio)

2. Term of Office

The term of office of the members other than ex-officio members shall be for a period of two years.

3. Functions

Subject to the overall guidance of the Academic Council, the Board of Research shall perform, inter alia, the following functions:

- 3.1 To indicate the priority areas of research in the Schools/Centres taking into account the facilities available in the University, the major thrust areas accepted for the concerned Centres and individual interest of the members of the faculty;
- 3.2 To review the current status of research in each School/Centre and critically examine the progress thereof from time to time; and
- 3.3 To perform such other functions as may be assigned to it by the Academic Council or the Vice Chancellor.

4. Meetings

The Board of Research shall meet regularly at least once in a year.

5. Quorum

The quorum of the Board shall be one-third of the total members.

6. Notice

Notice for any meeting of the Board of Research shall be issued at least one week before the date fixed for the meetings.

7. Rules of Business

Rules of conduct of the meetings shall be as prescribed by the Regulations in this regard.

IΧ

ADMISSION OF STUDENTS TO THE UNIVERSITY

[Act-Sections 6(xviii), 28(1) (a)]

- 1. Application form for admission to the various programmes offered by University shall be as prescribed by the University from time to time.
- The last date for the receipt of applications for admission to various Schools of the University shall be fixed each year by the University.
- 3. The last date for admission to the Schools of the University shall be fixed each year by the University.
- 4. The number of students to be admitted in the Schools of the University in the coming session shall be prescribed each year by the Academic Council.
- 5. Admission to the various programmes of studies shall be made on, all-India basis and on the basis of merit, either through Common Entrance Tests conducted individually by the University or in combination with other universities, or on the basis of marks obtained in the qualifying examination in such courses where the intake of students is small.
- 6. Admissions to the various programmes of studies shall be made by the Admission Committee of the concerned School as constituted by the University consisting of 2 to 3 members from the Centre to be nominated by the Vice Chancellor and chaired by the Dean.
- 7. Minimum qualifications for admission in the programmes in various Centres shall be prescribed by the Academic Council or its sub-committee in consultation with the Dean of the School/Coordinator of the Centre preferable each year subject to the concession provided for by the Regulations. Candidates shall be admitted to the various programmes in the order of merit in each category.
- 8. Only such candidates who have passed an examination of an Indian University/Board established or recognized by State/Central governments or such other examination as has been recognized equivalent by State/Central Governments/University/AIU shall be considered for admission.
- 9. In the case of seats reserved by the Government of India for students from backward states and foreign students who approach the University for admission through the nodal Ministry, the candidates may be admitted if they fulfil the minimum qualifications of the admission prescribed by the University in various Schools if necessary, over and above the quota fixed. In special cases where such candidates do not fulfill the minimum qualifications or where they submit applications after the last date prescribed for the receipt of applications but not later than 10 days of the commencement of the first semester admissions may be made under the orders of the Vice Chancellor in each individual case.
- 10. 15% of the seats in the academic programmes offered by the University shall be reserved for students belonging to Scheduled Castes, 7½% for students belonging to Scheduled Tribes and 27% for students belonging to Other Backward Classes. Provided that the University may also make such special provisions for the admission of girl students or candidates belonging to the physically handicapped and such other disadvantaged groups on the recommendations of the Academic Council from time to time.
- 11. No Student shall ordinarily be admitted to more than one programme at a time.
 - Note: However, students admitted to any regular programme of the University may also be permitted to pursue parttime Certificate/Diploma programmes offered by the University or any other institute.
- 12. The minimum and maximum duration for the programmes offered by the University shall be prescribed by the Academic Council.
- 13. A candidate shall be admitted to the programme in a School on his/her enrolment as a student of the University after paying the enrolment fee prescribed by the University.
- 14. If at any time it is discovered that a candidate has made a false or incorrect statement or other fraudulent means have been used for securing admission his/her name shall be removed from the rolls of the University.

X

SCHOOL BOARDS [Statute 15(2-4)]

Every School shall have a School Board.

1. Constitution

Each School Board consists of the following:

1.1 Dean of the School

Chairperson (Ex-officio)

1.2 Coordinators of the Centres in the School

Members (Ex-officio)

1.3 Six Professors in the School to be nominated by the Vice Chancellor, not more than one from each Centre of Studies Member

1.4 One Associate Professor and one Assistant Professor from each of the Centres by rotation on the basis of seniority Member

1.5 One representative each of the Boards of other Schools which have inter-disciplinary work with the School, to be nominated by the Vice Chancellor on the recommendations of the Chairperson, School Board concerned Member

1.6 Not more than five persons to be nominated by the Academic Council, who have specialised knowledge of and expertise in the subjects around which the Centres in the School are organised and who are not employees of the University Member

Provided that as per Statute 15(2) of the Central University Act 2009, the first School Board shall be nominated by the Executive Council for a period of three years.

Term of Office

The term of office of members, other than that of the Dean, Coordinators of Centres and Professors shall be two years.

3. Functions

The functions of the Board shall be to:

- 3.1 Recommend to the Academic Council the various courses of study, other than research degrees offered by the Centres in the School and courses of study for research degrees to the Board of Research;
- 3.2 Appoint committees to coordinate the teaching and research work in subjects or areas which are of interest to more than one Centre or which do not fall within the sphere of any Centre in the School and to supervise the work of such committees;
- 3.3 Recommend examiners for appointment for the courses other than research degrees, offered by the Centres on the recommendation of the Boards of Studies of the concerned Centres;
- 3.4 Perform all other functions which may be prescribed by the Act, the Statutes and the Ordinances, and to consider all such matters as may be referred to it by the Executive Council, the Academic Council or the Vice Chancellor; and

4. Meetings

- 4.1 Meetings of a Board shall either be ordinary or special.
- 4.2 Ordinary meetings shall be held twice in an academic year, at least once in each Semester.
- 4.3 Special meetings may be called by the Dean of the School at his/her own initiative or shall be called at the suggestion of the Vice Chancellor. No item other than those notified earlier shall be discussed at the special meeting.

5. Quorum

The quorum for the meeting of the Board shall be one- third of its total members.

6. Notice

Notice for any meeting of the Board shall be issued at least one week before the date fixed for the meetings.

7. Rules of Business

Rules of conduct of the meetings shall be as prescribed by the Regulations in this regard.

X

BOARDS OF STUDIES [Act Section 23, Statute (16)]

Constitution

The Board of Studies of each Centre shall comprise of the following members:

1.1 Coordinator of the Centre

Chairperson (Ex-officio)

1.2	All Professors of the Centre	Members
1.3	Two Associate Professors and two Assistant Professors of the Centre by rotation, on the basis of seniority	Members
1.4	One teacher each from other Centres within the School having common courses with the Centre to be nominated by the Vice Chancellor	Members
1.5	Not more than two teachers teaching allied subjects in other Schools nominated by the Vice Chancellor on the recommendations of the Centre concerned	Members
1.6	Not more than three persons nominated by the School Board who have specialised knowledge in the discipline of the concerned Centre and who are not employees of the University or any	Members

2. Term of Office

The term of office of members, other than the Coordinator of the Centre and the Professors, shall be two years. However, such members who are also members of the Centre can be re-nominated if the number of teachers in the Centre is not large enough for rotation.

Functions

Functions of the Board shall be to:

of its recognised Institutions

- 3.1 to recommend to the School Board, measures for the improvement of teaching and research in the Centre; and
- 3.2 to perform such other functions as may be assigned to it by the School Board, the Academic Council, the Executive Council or the Vice Chancellor.

4. Quorum

The quorum for the meeting of the Board shall be one-third of the total members.

Notice

Notice of the meetings of the Board shall be issued at least one week before the date fixed for the meeting.

6. Minutes

The Chairperson of the Board shall keep the Minutes of the meetings of the Board.

7. Rules of Business

The rules of conduct of the meeting shall be as may be prescribed by the Regulations in this regard.

XII

CENTRES OF STUDIES IN THE SCHOOL [Statutes 15(5)]

1. Constitution:

Each Centre in a School shall consist of the following members:

- 1.1 Coordinator of the Centre
- 1.2 All teachers of the Centre
- 1.3 Persons guiding research in the Centre
- 1.4 Dean of the School
- 1.5 Honorary Professors, Adjunct Professors, Professor Emeritus, if any, attached to the Centre
- 1.6 Such other persons as may be members of the Centre in accordance with the provisions of the Ordinances

2. Term of Office

The term of office of members, other than the Coordinator of the Centre, shall be two years.

Chairperson

The Coordinator of a Centre of Studies shall convene and preside over the meetings of the Centre.

4. Functions:

The functions of a Centre shall be to:

- 4.1 Admit students to its programmes of studies and to lay down the procedure for such admissions;
- 4.2 Approve the pattern and the schedule of evaluation for each course offered by the Centre;
- 4.3 Make proposals regarding the creation and abolition of teaching posts;
- 4.4 Approve research projects to be taken up by the Centre;
- 4.5 Frame the syllabi and suggest reference books and other reading materials for the programmes of study;
- 4.6 Constitute Committees from its members and to assign to these Committees specific functions falling within its competence;
- 4.7 Appoint from amongst its teachers advisers to students;
- 4.8 Propose schemes for and help in the maintenance and improvement of the standards of courses and teaching of the subjects in the affiliated or recognised Institutions of the University; and
- 4.9 Perform such other functions as may be assigned to it by the concerned School.

Quorum

The quorum for the meeting of the Centre shall be one-third of the total membership of the Centre.

6. Notice

Notice of the meetings of the Centre shall be issued at least two days before the date fixed for the meeting.

Minutes

The Coordinator of the Centre shall keep the Minutes of the meetings.

Rules of Business

The rules of conduct of the meeting shall be as may be prescribed by the Regulations in this regard.

9. Functioning of Centres

9.1 Overall Workload

The academic work load for every member of the faculty is expected to be as per UGC guidelines.

9.2 Work Unit

The lecture shall normally be of one hour duration.

9.3 Academic Activities

The teachers working in the Centres may be required to perform the following functions:

- 9.3.1 Conducting interdisciplinary research work having direct implication and bearing on the community.
- 9.3.2 Action based projects for societal needs as extension education programmes.
- 9.3.3 Conducting short-duration Diploma/Certificate courses, training and outreach programmes.
- 9.3.4 Conducting professional courses.
- 9.3.5 Participating in the teaching and other programmes of the University.

9.4 Norms for Faculty Members

All members of the faculty are expected to take minimum core programme. Core programme shall include lectures, tutorials/seminars/practical/project work in the various programmes. The members of the faculty shall teach core/supportive courses in other schools also, if so required.

9.5 Time Table

9.5.1 Each Centre in consultation with the Dean of the School shall prepare a time table indicating engagement of all members of the faculty covering the academic programmes.

9.6 Number of Research Scholars

As per UGC norms.

XIII

COORDINATORS OF CENTRES

[Act Section 6, Statute 15(5)(a)]

Appointment of Coordinator

The Coordinator of a Centre shall be appointed by the Vice Chancellor from amongst the Professors of the Centre.

2. Term of Office

- 2.1 The Coordinator of a Centre shall hold office for a period of three years.
- 2.2 The Coordinator of a Centre shall on attaining superannuation, cease to hold office as such.
- 2.3 The Coordinator of a Centre may resign his/her office at any time during his/her term of office.

3. Chairperson

The Coordinator of a Centre shall convene and preside over the meetings of the Centre.

4. Functions

The Coordinator of a Centre shall, under the general supervision of the Dean, perform the following functions to:

- 4.1 Organize the teaching and research work;
- 4.2 Frame the time table in conformity with the allocation of the teaching;
- 4.3 Maintain discipline in the class rooms and laboratories through faculty;
- 4.4 Assign to the teachers in the Centre such duties as may be necessary for the proper functioning of the Centre, and exercise control over the non-teaching staff; and
- 4.5 Perform such other functions as may be assigned to him/her by the Dean of the concerned School, the Academic Council, the Executive Council and the Vice Chancellor.

XIV

DEANS OF THE SCHOOLS OF STUDIES

[Act Section 13; Statute (5)]

1. Appointment of Dean

1.1 Every Dean of a School shall be appointed by the Vice Chancellor from amongst the Professors in the School by rotation in order of seniority.

Provided that in case there is only one Professor or no Professor in a School, the Dean shall be appointed, for the time being, from amongst the Associate Professors in the School by rotation in the order of seniority.

- 1.2 The Dean shall draw an honorarium as may be fixed up by the University from time to time in addition to his/her pay in the substantive post.
- 2. When the office of the Dean is vacant or when the Dean is, by reason of illness, absence or any other cause, unable to perform duties of his office, the duties of the office shall be performed by the senior-most Professor or Associate Professor, as the case may be, in the School.
- 3. The Dean of a School shall be the Head of the School, and shall be responsible for the conduct and maintenance of standards of teaching and research in the School.
- 4. The Dean shall have the right to be present and to speak at any meeting of the Boards of Studies or committees of the School.

5. Chairperson

The Dean shall be the Chairperson and Convener of the meetings of the School Board.

6. Term of Office

The term of office of a Dean shall be three years.

Provided that a Dean on attaining the age of superannuation shall cease to hold office as such.

7. Functions

The Dean of the School shall perform the following functions to:

- 7.1 Co-ordinate and supervise the teaching and research work in the School through the Coordinators of the Centres;
- 7.2 Take steps to promote inter-disciplinary teaching and research work in the School through the Coordinators of the Centres;
- 7.3 Maintain discipline in the class rooms through the Coordinators of the Centres;
- 7.4 Keep a record of the evaluation of academic work and of the attendance of the students at lectures, tutorials, seminars or practical's wherever these are prescribed;
- 7.5 Arrange for the examinations in respect of the students of the School in accordance with University rules; and
- 7.6 Perform such other academic duties as may be assigned to him by the Vice Chancellor.

XV

THE DEANS' COMMITTEE [Act Section 28(1)(j)]

1. Short Title

The Vice Chancellor shall constitute a Committee of Deans of the University to be known as the Deans' Committee.

2. Constitution of the Committee

The Deans' Committee shall comprise of the following:

2.1	Vice Chancellor	Chairperson
2.2	Pro Vice Chancellor	Member
2.3	All Deans of Schools	Members
2.4	Registrar	Secretary

3. Functions

The functions of this Committee shall be as follows:

- 3.1 Selection of candidates for award of fellowships;
- 3.2 Consider matters arising from conduct of examinations and their results, etc.;
- 3.3 Consider general academic matters relating to functioning of Schools and Centres; and
- 3.4 Consider such other matters as may be referred to it by the Vice Chancellor.
- Meeting

The meetings of the Committee shall be convened by the Registrar with the approval of Vice Chancellor.

5. Quorum

The quorum of the Committee shall be one-third of its members.

Rules of Business

The rules of conduct of meetings shall be as may be prescribed by the Regulations in this regard.

XVI

DEAN STUDENTS WELFARE [Statute 36(1)(i)]

The Dean Students Welfare (DSW) in the University shall look after the general welfare of the students and provide
appropriate encouragement for sound and fruitful relationship between the intellectual and social life of the students
and those aspects of the University life outside the class room which contribute to their growth and development as
mature and responsible human beings.

2. Appointment

- 2.1 The DSW shall be appointed by the Vice Chancellor.
- 2.2 The DSW shall draw an honorarium as may be specified by the University from time to time in addition to his/her pay and other admissible allowances in his/her substantive post.

- 2.3 Subject to his continuing as an employee of the University, a person shall hold office of the DSW for a term of three years.
- 3. The DSW shall be the Head as far as Hostels, Sports, Health Centre, University Cultural Committee are concerned.
- 4. The DSW, inter alia, will arrange for the guidance of and advice to the students of the University.
- 5. Functions

The DSW shall perform, among others, the following functions:

- 5.1 Organisation and development of students' bodies;
- 5.2 Counselling and students guidance facilities;
- 5.3 Liaison with students affairs committee;
- 5.4 Extra-curricular and sports activities of students;
- 5.5 Promotion of students participation in co-curricular and social activities;
- 5.6 Students financial aid:
- 5.7 Student-faculty and student-administration relationship;
- 5.8 Career/placement advice services;
- 5.9 Health and medical services for the students;
- 5.10 Residential life of the students;
- 5.11 Arranging facilities for educational tours and excursion for students;
- 5.12 Securing facilities for students for further studies in the country and/or abroad; and
- 5.13 Alumni activities.
- 6. The DSW will exercise such powers and perform such other duties in the pursuit of the above functions as may be assigned to him/her from time to time by the Vice Chancellor.
- The DSW may, if necessary, communicate with the parents/guardians of the students in respect of any matter requiring their assistance and cooperation.
- 8. The DSW will function under the control of the Vice Chancellor and will be a member of the Disciplinary Committee.
- 9. The DSW shall report to the Vice Chancellor cases of students who require special attention or whose conduct and activities are not in the best interest of the University.
- 10. The DSW shall take necessary actions for all issues related to ragging.
- 11. The DSW shall be responsible for the financial transactions in which he/she has taken advance for conducting students activities.

XVII

MEDIUM OF INSTRUCTION AND EXAMINATION

[Act Section 28(1)(c)]

English shall be the medium of instruction, study, examination and research of the University, except in languages, or else as may be decided by the Academic Council.

XVIII

CONDUCT OF EXAMINATIONS

[Act Section 28(1)(c)]

- 1. All examinations (except entrance examinations) of the University shall be held at Bathinda or at such other places and on such dates as may be fixed by the University.
- 2. Examinations of the University shall be open to a student who has undergone a course of study of the University for a period specified for that course of study, if he/she has fulfilled the requirements as prescribed for the purpose.
- 3. Application to appear at any examination together with the fees prescribed for that examination shall be submitted to the Controller of Examinations through the Dean of the School concerned not later that the date specified for the purpose from time to time.

- 4. A candidate whose application is found in order and accepted shall be given an Admit Card which shall be produced for admission at the examination centre.
- 5. A candidate who fails to appear at an examination shall not be entitled to a refund of the examination fees paid by him.

Provided that the Controller of Examinations may, for reason(s) as specified in the Regulations, allow such a candidate to appear at the next examination without further payment of fees with the approval of Vice Chancellor.

XIX

FEES AND DUES PAYABLE BY STUDENTS OF THE UNIVERSITY

[Act Section 6(xix), 28(1)(e)]

- 1. The Executive Council on the recommendations of the Academic Council shall, from time to time prescribe the fees and dues payable by students of the University for various programmes.
- 2. The students shall make payments of fees and dues in the mode of payment as prescribed by the University from time to time on or before the date fixed by the University.
- 3. Differently abled students and/or such other categories as may be specified by Executive Council shall be exempted from payment of all the tuition fees.
- 4. The Vice-Chancellor shall have the power to grant full/partial free-ship to a student on the recommendation of a Committee. The free-ship shall be sanctioned on year to year basis.

XX

M.Phil.-Ph.D. INTEGRATED PROGRAMME

[Act Section 28 (1) (b)]

Course of Study

The Schools/Centres concerned shall prescribe the courses and syllabi and shall specify the methodology to be adopted.

2. Duration

- 2.1 The minimum duration for completion of the Programme is 08 semesters (4 years) and the maximum duration 12 semesters (6 years). Out of this period minimum of 03 semesters (1.5 year) must be spent for M.Phil. phase of the Programme for which maximum duration is five consecutive semesters (2.5 years), or as may be decided by Academic Council from time to time.
- 2.2 The provisions about extension of semesters, zero semester, re-admission, etc., shall be as per the Regulations.
- 3. Eligibility for Admission
 - 3.1 The eligibility criteria for admission to various M.Phil.-Ph.D. Integrated Programmes shall be as approved by the Academic Council.
 - 3.2 The reservation of seats for candidates belonging to SCs/STs/OBCs and also differently abled candidates shall be as per UGC guidelines.

4. Admission Criteria

Admission of a candidate to the programme would be made only in its first semester (M.Phil. stage).

5. Procedure for Admission

- 5.1 The Admission Committee of the School/Centre would consider the applications for admission and admit the students following the procedure as laid down by the University from time to time.
- 5.2 The candidates who have qualified UGC/CSIR NET/SLET/GATE or any other State or Centre level test accredited by the UGC may be given additional credit as may be decided by the University.

6. Programme Structure

- 6.1 Following a modular approach the course of study of M.Phil.-Ph.D. Integrated Programme shall consist of following two phases:
 - 6.1.1 Phase 1 of the Programme (M.Phil.) would comprise of theory and practical courses (wherever applicable) and a dissertation. The credit hours shall be as decided by the Academic Council.
 - 6.1.2 Phase II of the Programme (Ph.D.) shall comprise of a detailed thesis and public viva-voce.

For the registration and award of Ph.D. Degree, all the relevant Ordinances and Regulations of Ph.D. Programme shall be applicable.

7. Evaluation of Course Work

There shall be a continuous evaluation of the academic performance of the students as provided under the Regulations.

Promotion to the Next Semester

- 8.1 A student shall be promoted to the next semester of M.Phil.-Ph.D. Integrated Programme provided he/she fulfils the requirements as may be prescribed under the Regulations by the Academic Council.
- 8.2 A student shall be allowed to provisionally register for the second phase (4th semester) of the Programme leading to the award of Ph.D. degree, after completion of course work and submission of M.Phil. dissertation. Registration to Ph.D. shall be confirmed only on successful completion of M.Phil. and after satisfying other conditions prescribed by the University for the same.

9. Appointment of Supervisor

There shall be a supervisor for every student who shall be appointed by the concerned School/Centre. In case of interdisciplinary research a co-supervisor may be appointed as per provisions in the Regulations.

10. Topic of Dissertation

The topic of dissertation for the student shall be approved by the School/Centre on the proposal submitted by the candidate through his/her supervisor.

11. Award of Degree

The successful candidates shall be admitted to and conferred upon the Degree of Master of Philosophy and Doctor of Philosophy separately as the case may be, provided he/she fulfils all the conditions as specified in the Regulations.

12. Exit Option

A student admitted to this Programme will have the option of quitting the Programme if he/she wishes to do so after successfully completing the formalities for passing M.Phil. within the stipulated period. All such students will be awarded M.Phil. degree provided they fulfill all the conditions as per Regulations.

13. Depository with UGC

Following the successful completion of the evaluation process and declaration of the results of M.Phil.-Ph.D. Integrated Programme, the candidate shall submit two soft copies (read only) of the dissertation to the University which may further submit one soft copy to the UGC for hosting the same in INFLIBNET.

XX-(i)

Ph.D. PROGRAMME [Act Section 28 (1) (b)]

1. Course of Study

The Schools/Centres concerned shall prescribe the courses and syllabi and shall specify the methodology to be adopted.

2. Duration

- 2.1 The minimum duration for completion of the Programme is 05 semesters (2.5 years) and the maximum duration 08 semesters (4 years) or as may be decided by Academic Council from time to time.
- 2.2 The provisions about extension of semesters, zero semester, re-admission, etc., shall be as per the Regulations.

3. Eligibility for Admission

- 3.1 The eligibility criteria for admission to various Ph.D. programmes shall be as approved by the Academic Council.
- 3.2 The reservation of seats for candidates belonging to SC/ST/OBC and differently abled candidates shall be as per UGC guidelines.

4. Admission Criteria

Admission of a candidate to the programme would be made only in its first semester.

Procedure for Admission

- 5.1 The Admission Committee of the School/Centre would consider the applications for admission and admit the students following the procedure as laid down by the university from time to time.
- 5.2 The candidates who have qualified UGC/CSIR-NET/SLET/GATE or any other State or National level test accredited by the UGC may be given additional credit as may be decided by the University.

6. Programme Structure

- 6.1 Following a modular approach the course of study of Ph.D. Programme shall consist of following:
 - 6.1.1 The Ph.D. Programme shall comprise of course work, a detailed thesis, the public defense and vivavoce.
 - 6.1.2 For the registration and award of Ph.D. degree, all the relevant Rules and Regulations of Ph.D. Programme shall be applicable.

7. Evaluation of Course Work

There shall be a continuous evaluation of the academic performance of the students as provided under the Regulations.

8. Promotion to the Next Semester

8.1 A student shall be promoted to the next semester of Ph.D. Programme provided he/she fulfils the requirements as may be prescribed under the Regulations by the Academic Council.

9. Appointment of Supervisor

There shall be a supervisor for every student who shall be appointed by the concerned School/Centre. In case of interdisciplinary research one or more co-supervisors may be appointed as per provisions in the Regulations.

10. Topic of Thesis

The topic of thesis for the student shall be approved by the School/Centre on the proposal submitted by the candidate through his/her supervisor.

11. Award of Degree

The successful candidates shall be admitted to and conferred upon the Degree of Doctor of Philosophy provided he/she fulfils all the conditions as specified in the Regulations.

12. Depository with UGC

Following the successful completion of the evaluation process and declaration of the results of Ph.D., the candidate shall submit two soft copies (read only) of the thesis to the University which may further submit one soft copy to the UGC for hosting the same on Shodhganga.

XX-(ii)

LL.M. –Ph.D. INTEGRATED PROGRAMME [Act Section 28 (1) (b)]

Course of Study

The Schools/Centres concerned shall prescribe the courses and syllabi and shall specify the methodology to be adopted.

2. Duration

- 2.1 The minimum duration for completion of the Programme is 09 semesters (4½ years) and the maximum duration 13 semesters (6½ years). Out of this period minimum of 4 semesters (2 years) must be spent for LL.M. programme for which maximum duration is six consecution semester (3 years) or as may be decided by Academic Council from time to time.
- 2.2 The provisions about extension of semesters, zero semester, re-admission, etc., shall be as per the Regulations.

3. Eligibility for Admission

- 3.1 The eligibility criteria for admission to various LL.M. Programmes shall be as approved by the Academic Council.
- 3.2 The reservation of seats for candidates belonging to SC/ST/OBC and differentially abled candidates shall be as per UGC guidelines.

4. Admission Criteria

Admission of a candidate to the programme would be made only in its first semester.

Procedure for Admission

5.1 The Admission Committee of the School/Centre would consider the applications for admission and admit the students following the procedure as laid down by the university from time to time.

5.2 The candidates who have qualified UGC/CSIR NET/SLET/GATE or any other State or National level test accredited by the UGC may be given additional credit as may be decided by the university.

6. Programme Structure

- 6.1 Following a modular approach the course of study of LL.M. Programme shall consist of following two phases:
 - 6.1.1 Programme LL.M. would comprise of theory and field work (wherever applicable) and a dissertation. The credit hours shall be as decided by the Academic Council.
 - 6.1.2 Phase II of the Programme (Ph.D.) shall comprise of course work, a detailed thesis and public defence (viva-voce).
 - 6.1.3 For the registration and award of LL.M. or Ph.D. all the relevant Rules and Regulations of LLM.-Ph.D. Integrated Programme shall be applicable.

Evaluation of Course Work

There shall be a continuous evaluation of the academic performance of the students as provided under the Regulations.

8. Promotion to the Next Semester

- 8.1 A student shall be promoted to the next semester of LL.M.-Ph.D.Integrated Programme provided he/she fulfils the requirements as may be prescribed under the Regulations by the Academic Council.
- 8.2 A student shall be allowed to provisionally register for the second phase (5th semester) of the Programme leading to the award of Ph.D. degree, after completion of course work and submission of LL.M. dissertation. Registration to Ph.D. shall be confirmed only on successful completion of LL.M. and after satisfying other conditions prescribed by the University for the same.

9. Appointment of Supervisor

There shall be a supervisor for every student who shall be appointed by the concerned School/Centre. In case of interdisciplinary research one or more co-supervisors may be appointed as per provisions in the Regulations.

10. Topic of Dissertation and Thesis

The topic of dissertation and thesis for the student shall be approved by the School/Centre on the proposal submitted by the candidate through his/her supervisor.

11. Award of Degree

The successful candidates shall be admitted to and conferred upon the Degree of LL.M. and Ph.D. separately as the case may be provided he/she fulfils all the conditions as specified in the Regulations.

12. Exit Option

A student admitted to this Programme will have the option of quitting the Programme if he/she wishes to do so after successfully completing the formalities for passing LL.M. within the stipulated period. All such students will be awarded LL.M. degree provided they fulfill all the conditions as per Regulations.

13. Depository with UGC

Following the successful completion of the evaluation process and declaration of the results of LL.M./Ph.D., the candidate shall submit two soft copies (read only) of the dissertation/thesis as the case may be to the university which may further submit one soft copy to the UGC for hosting the same on Shodhganga.

XX-(iii)

M.Pharm.-Ph.D. INTEGRATED PROGRAMME [Act Section 28 (1) (b)]

1. Course of Study

The Schools/Centres concerned shall prescribe the courses and syllabi and shall specify the methodology to be adopted.

2. Duration

2.1 The minimum duration for completion of the Programme is 09 semesters (4½ years) and the maximum duration 13 semesters (6½ years). Out of this period minimum of 04 semesters (02 years) must be spent for M.Pharm. programme for which maximum duration is six consecutive semesters (3 years), or as may be decided by Academic Council from time to time.

2.2 The provisions about extension of semesters, zero semester, re-admission, etc., shall be as per the regulations.

Eligibility for admission

- 3.1 The eligibility criteria for admission to various M.Pharm.-Ph.D. Programme shall be as approved by the Academic Council.
- 3.2 The reservation of seats for candidates belonging to SC/ST/OBC and differentially abled candidates shall be as per UGC guidelines.

4. Admission Criteria

Admission of a candidate to the programme would be made only in its first semester.

5. Procedure for Admission

- 5.1 The Admission Committee of the School/Centre would consider the applications for admission and admit the students following the procedure as laid down by the university from time to time.
- 5.2 The candidates who have qualified UGC/CSIR NET/SLET/GATE or any other State or National level test accredited by the UGC may be given additional credit as may be decided by the university.

6. Programme Structure

- 6.1 Following a modular approach the course of study of M.Pharm.-Ph.D. Integrated Programme shall consist of following 2 phases:
 - 6.1.1 Phase 1 of the Programme M.Pharm. would comprise of theory and practical courses (wherever applicable) and a dissertation. The credit hours shall be as decided by the Academic Council.
 - 6.1.2 Phase II of the Programme (Ph.D.) shall comprise of course work, a detailed thesis and public defence (viva-voce).
 - 6.1.3 For the registration and award of M.Pharm. or Ph.D. degree, all the relevant Rules and Regulations of M.Pharm.-Ph.D. Integrated Programme shall be applicable.

7. Evaluation of Course Work

There shall be a continuous evaluation of the academic performance of the students as provided under the Regulations.

8. Promotion to the Next Semester

- 8.1 A student shall be promoted to the next semester of M.Pharm.-Ph.D. Integrated Programme provided he/she fulfils the requirements as may be prescribed under the Regulations by the Academic Council.
- 8.2 A student shall be allowed to provisionally register for the second phase (5th semester) of the Programme leading to the award of Ph.D. degree, after completion of course work and submission of M.Pharm. dissertation. Registration to Ph.D. shall be confirmed only on successful completion of M.Pharm. and after satisfying other conditions prescribed by the University for the same.

9. Appointment of Supervisor

There shall be a supervisor for every student who shall be appointed by the concerned School/Centre. In case of interdisciplinary research one or more co-supervisors may be appointed as per provisions in the Regulations.

10. Topic of Dissertation and Thesis

The topic of dissertation and thesis for the student shall be approved by the School/Centre on the proposal submitted by the candidate through his/her supervisor(s).

11. Award of Degree

The successful candidates shall be admitted to and conferred upon the Degree of Master of Pharmacy and Doctor of Philosophy separately as the case may be, provided he/she fulfils all the conditions as specified in the Regulations.

12. Exit Option

A student admitted to this Programme will have the option of quitting the Programme if he/she wishes to do so after successfully completing the requirements for passing M.Pharm. within the stipulated period. All such students will be awarded M.Pharm. degree provided they fulfill all the conditions as per Regulations.

13. Depository with UGC

Following the successful completion of the evaluation process and declaration of the results of M.Pharm./Ph.D., the candidate shall submit two soft copies (read only) of the dissertation/thesis as the case may be, to the University which may further submit one soft copy to the UGC for hosting the same on Shodhganga.

XX-(iv)

M.Phil. PROGRAMME [Act Section 28 (1) (b)]

1. Course of Study

The Schools/Centres concerned shall prescribe the courses and syllabi and shall specify the methodology to be adopted.

2. Duration

- 2.1 The minimum duration for completion of the programme is 03 semesters (1½ years) and the maximum duration 05 semesters (2½ years) or as may be decided by Academic Council from time to time.
- 2.2 The provisions about extension of semesters, zero semester, re-admission, etc., shall be as per the Regulations.

3. Eligibility for Admission

- 3.1 The eligibility criteria for admission to various M.Phil. programmes shall be as approved by the Academic Council.
- 3.2 The reservation of seats for candidates belonging to SC/ST/OBC and also differential abled candidates shall be as per UGC guidelines.

4. Admission Criteria

Admission of a candidate to the programme would be made only in its first semester.

5. Procedure for Admission

- 5.1 The Admission Committee of the School/Centre would consider the applications for admission and admit the students following the procedure as laid down by the university from time to time.
- 5.2 The candidates who have qualified UGC/CSIR-NET/SLET/GATE or any other State or National level test accredited by the UGC may be given additional credit as may be decided by the university.

6. Programme Structure

- 6.1 Following a modular approach the course of study of M.Phil. Programme shall consist of following:
 - 6.1.1 The Programme would comprise of theory and practical courses (wherever applicable) and a dissertation. The credit hours shall be as decided by the Academic Council.
 - 6.1.2 For the registration and award of M.Phil. degree, all the relevant Rules and Regulations of M.Phil. Programme shall be applicable.

7. Evaluation of Course Work

There shall be a continuous evaluation of the academic performance of the students as provided under the Regulations.

8. Promotion to the Next Semester

A student shall be promoted to the next semester of M.Phil. Programme provided he/she fulfils the requirements as may be prescribed under the Regulations by the Academic Council.

9. Appointment of Supervisor

There shall be a supervisor for every student who shall be appointed by the concerned School/Centre. In case of interdisciplinary research one or more co-supervisors may be appointed as per provisions in the Regulations.

10. Topic of Dissertation

The topic of dissertation for the student shall be approved by the School/Centre on the proposal submitted by the candidate through his/her supervisor.

Award of Degree

The successful candidates shall be admitted to and conferred upon the Degree of Master of Philosophy provided he/she fulfils all the conditions as specified in the Regulations.

12. Depository with UGC

Following the successful completion of the evaluation process and declaration of the results of M.Phil. Programme, the candidate shall submit two soft copies (read only) of the dissertation to the University which may further submit one soft copy to the UGC for hosting the same on Shodhganga.

XX-(v)

M. Tech. PROGRAMME [Act Section 28 (1) (b)]

1. Course of Study

The Schools/Centres concerned shall prescribe the courses and syllabi and shall specify the methodology to be adopted.

2. Duration

- 2.1 The minimum duration for completion of the Programme is 04 semesters (2 years) and the maximum duration 06 semesters (3 years) or as may be decided by Academic Council from time to time.
- 2.2 The provisions about extension of semesters, zero semester, re-admission, etc., shall be as per the Regulations.

3. Eligibility for Admission

- 3.1 The eligibility criteria for admission to various M.Tech. programmes shall be as approved by the Academic Council.
- 3.2 The reservation of seats for candidates belonging to SC/ST/OBC and differential abled candidates shall be as per UGC guidelines.

4. Admission Criteria

Admission of a candidate to the programme would be made only in its first semester.

5. Procedure for Admission

- 5.1 The Admission Committee of the School/Centre would consider the applications for admission and admit the students following the procedure as laid down by the university from time to time.
- 5.2 The candidates who have qualified UGC/CSIR-NET/SLET/GATE or any other State or National level test accredited by the UGC may be given additional credit as may be decided by the university.

6. Programme Structure

- 6.1 Following a modular approach the course of study of M. Tech. programme shall consist of following:
 - 6.1.1 The M.Tech. programme would comprise of theory and practical courses (wherever applicable) and a dissertation. The credit hours shall be as decided by the Academic Council.
 - 6.1.2 For the registration and award of M. Tech. degree, all the relevant Rules and Regulations of M. Tech. programme shall be applicable.

7. Evaluation of Course Work

There shall be a continuous evaluation of the academic performance of the students as provided under the Regulations.

8. Promotion to the Next Semester

8.1 A student shall be promoted to the next semester of M.Tech. programme provided he/she fulfils the requirements as may be prescribed under the Regulations by the Academic Council.

9. Appointment of Supervisor

There shall be a supervisor for every student who shall be appointed by the concerned School/Centre. In case of interdisciplinary research one or more co-supervisors may be appointed as per provisions in the Regulations.

10. Topic of Dissertation/Project

The topic of dissertation for the student shall be approved by the School/Centre on the proposal submitted by the candidate through his/her supervisor.

11. Award of Degree

The successful candidates shall be admitted to and conferred upon the Degree of Master of Technology provided he/she fulfils all the conditions as specified in the Regulations.

12. Depository with UGC

Following the successful completion of the evaluation process and declaration of the results of M.Tech., the candidate shall submit two soft copies (read only) of the dissertation to the university which may further submit one soft copy to the UGC for hosting the same on Shodhganga.

XX-(vi)

M.A./M.Sc. PROGRAMME [Act Section 28 (1) (b)]

1. Course of Study

The Schools/Centres concerned shall prescribe the courses and syllabi and shall specify the methodology to be adopted.

2. Duration

- 2.1 The minimum duration for completion of the Programme is 04 semesters (2 years) and the maximum duration 6 semesters (3 years) or as may be decided by Academic Council from time to time.
- 2.2 The provisions about extension of semesters, zero semester, re-admission, etc., shall be as per the Regulations.

3. Eligibility for Admission

- 3.1 The eligibility criteria for admission to various M.A./M.Sc.Programmes shall be as approved by the Academic Council.
- 3.2 The reservation of seats for candidates belonging to SCs/STs/OBCs and also differently abled candidates shall be as per UGC guidelines.

4. Admission Criteria

Admission of a candidate to the programme would be made only in its first semester.

5. Procedure for Admission

5.1 The Admission Committee of the School/Centre would consider the applications for admission and admit the students following the procedure as laid down by the University from time to time.

6. Programme Structure

- 6.1 Following a modular approach the course of study of M.A./M.Sc. Programme shall consist of following:
 - 6.1.1 The Programme M.A./M.Sc. would comprise of theory and practical courses (wherever applicable) and a dissertation. The credit hours shall be as decided by the Academic Council.
 - 6.1.2 For the award of M.A./M.Sc. degree, all the relevant Rules and Regulations of M.A./M.Sc. Programme shall be applicable.

7. Evaluation of Course Work

There shall be a continuous evaluation of the academic performance of the students as provided under the Regulations.

8. Promotion to the Next Semester

8.1 A student shall be promoted to the next semester of M.A./M.Sc. Programme provided he/she fulfils the requirements as may be prescribed under the Regulations by the Academic Council.

9. Appointment of Supervisor

There shall be a supervisor for every student who shall be appointed by the concerned School/Centre. In case of interdisciplinary research one or more co-supervisors may be appointed as per provisions in the Regulations.

10. Topic of Dissertation

The topic of dissertation for the student shall be approved by the School/Centre on the proposal submitted by the candidate through his/her supervisor.

11. Award of Degree

The successful candidates shall be admitted to and conferred upon the Degree of M.A. or M.Sc., as the case may be, provided he/she fulfils all the conditions as specified in the Regulations.

XXII

TERMS AND CONDITIONS OF APPOINTMENT OF EMERITUS PROFESSORS AND HONORARY PROFESSORS

[Act Section 6(1)(xvi), 28(1)(o)]

EMERITUS PROFESSOR

- 1. A Professor who has retired from the Central University of Punjab or from any other university or institution of repute may be invited by the Executive Council to continue his/her research/teaching activities in the University as an Emeritus Professor.
- 2. The title Emeritus Professor will be conferred only on scholars, who have made outstanding contribution to their subject by their published research work and teaching.

- 3. The Emeritus Professor shall be paid honorarium as may be decided by the University.
- 4. He/she will be provided office space and other facilities to carry out his/her research/teaching activities.

HONORARY PROFESSOR

- 1. A distinguished scholar who is either in active service or on superannuation may be considered for appointment as Honorary Professor by the Executive Council on the recommendation of the Dean of the School or Vice-Chancellor.
- 2. Honorary Professor shall be paid honorarium as may be decided by the University. He/she will also be provided local hospitality and travel expenses from the place of his/her residence to the University and back whenever he/she visits the University for delivering lectures and for participating in any other academic activity of the School/University.
- 3. Honorary Professor shall be expected to be associated with the normal academic activities of the Centre to which he/she is attached but shall not be a member of any committee of the University.

XXVI

PLANNING BOARD [Act Section 28(1) (j)]

1. Constitution

University shall constitute a Planning Board as recommended by the Academic Council from time to time.

Composition:

The composition of the Planning Board shall be as follows:

2.1 Vice Chancellor Chairperson (Ex-officio)
 2.2 Pro Vice Chancellor Member (Ex-officio)

2.3 Deans of Schools Members (Ex-officio)

2.4 Registrar Member-Secretary (Ex-officio)

2.5 Finance Officer Member (Ex-officio)

2.6 Five external Experts to be nominated by the Vice Chancellor including one member of EC and one member of AC

Members

3. Co-opting Members

The Board shall have the power to co-opt any member(s) and invite them to its meeting. It shall also have powers to appoint sub-committees to deal with any specific proposals.

4. Term of Office

All the members of the Board, other than the ex-officio members, shall hold office for a term of one year.

5. Functions

Subject to the over-all guidance of the Academic Council, the Planning Board shall perform, inter alia, the following functions:

- 5.1 To define its own perspective in the light of the needs of the region, which should aim at goals of excellence, relevance, social justice and development.
- 5.2 To prepare perspective planning spread over 15-20 years with well-defined goals and objectives.
- 5.3 To help the University to effectively implement various programmes approved by UGC by strengthening the administrative and planning infrastructure in the University as well as implementation of Plan development schemes, to bring about necessary academic reforms in the courses of study, examinations and to take comprehensive view of the research activities.
- 5.4 To prepare proposals for developmental grants. These may include continuing schemes of projects relating to the construction of academic buildings, staff quarters, teachers quarters/hostels, students hostels, study homes, purchase of books, journals and equipment, appointment of additional teaching staff and other miscellaneous schemes approved by the University Grants Commission (UGC).

6. Meetings

The Board shall meet at least once a year.

7. Quorum

One third members of the Board shall form a quorum.

XXVII

FINANCE COMMITTEE (Act Section 28(o); Statute 17)

1. Constitution

There shall be a Finance Committee of the University.

2. Composition

The composition of the Finance Committee shall be as follows:

2.1	Vice Chancellor	Chairperson (Ex-officio)
2.2	Pro Vice Chancellor	Member (Ex-officio)
2.3	One person to be nominated by the Court	Member (Ex-officio)
2.4	Three person to be nominated by the Executive Council out of whom at least one shall be a member of the Executive Council	Members
2.5	Three persons to be nominated by the Visitor	Members

3. Term of Office

2.6 Finance Officer

All members of the Finance Committee, other than ex-officio members, shall hold office for a term of three years.

Secretary (Ex-officio)

4. Functions

- 4.1 To examine the annual accounts and the financial estimates.
- 4.2 To consider and comment on the annual accounts and the financial budgets of the University, for consideration and approval of Executive Council.
- 4.3 To examine all proposals relating to creation of posts, and those items which have not been included in the Budget.
- 4.4 To recommend limits for the total recurring expenditure and the total non-recurring expenditure for the year based on the income and resources of the University (which in case of productive works, may include the proceeds of loans).

5. Meetings

The Finance Committee shall meet at least thrice every year.

6. Quorum

Five members of the Finance Committee shall form a quorum.

Amendment to Statute 18(2) of the Central University Act, 2009

Sr. No.			Existing	Amended
(1)			(2)	(3)
	of the Table below	shall consist of tons specified in the	nent to the posts specified in Column 1 the Vice-Chancellor, a nominee of the ne corresponding entry in Column 2 of	The Selection Committee for the pos of Professor, Associate and Assistant Professor Registrar, Finance
	1		2	Officer, Controller o
	Professor	(i) (ii) (iii)	The Dean of the School. The Head of the Department, if he is a Professor. Three Persons not in the service of the university, nominated by the Executive Council, out of a panel of names recommended by the Academic Council for their special knowledge of, or interest in, the subject with which the Professor will be concerned.	Officer, Controller Examinations, Librari and Principal College or Institution maintained by the University shall constituted as per the extant UGC regulation on the subject.

(1)			(2)	(3)
	Associate Professor/ Assistant Professor	(i) (ii)	The Head of the Department. One Professor nominated by the Vice-Chancellor.	
		(iii)	Two persons not in the service of the University, nominated by the Executive Council, out of a panel of names recommended by the Academic Council for their special knowledge of, or interest in, the subject with which the Associate Professor or Assistant Professor will be concerned.	
	Registrar/Finance Officer/Controller of Examinations	(i) (ii)	Two members of the Executive Council nominated by it. One person not in the service of the	
			University nominated by the Executive Council.	
	Librarian	(i)	Two persons not in the service of the University who have special knowledge of the subject of the Library Science or Library Administration nominated by the Executive Council.	
		(ii)	One person not in the service of the University nominated by the Executive council.	
	Principal of College or Institution maintained by the University	Univer by the Acader knowle which	persons not in the service of the sity of whom two shall be nominated Executive Council and one by the mic Council for their special edge of, or interest in, a subject in instruction is being provided by the e or Institution.	
		Note 1	Where the appointment is being made for an inter-disciplinary project, the head of the project shall be deemed to be the Head of the Department concerned.	
		Note 2	The Professor to be nominated by the Vice-Chancellor shall be a Professor concerned with the speciality for which the selection is being made and the Vice-Chancellor shall consult the Head of the Department and the Dean of School before nominating the Professor.	

JAGDEEP SINGH Registr

मुद्रण निदेशालय द्वारा, भारत सरकार मुद्रणालय, एन.आई.टी. फरीदाबाद में अपलोड एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा ई-प्रकाशित, 2016 UPLOADED BY DIRECTORATE OF PRINTING AT GOVERNMENT OF INDIA PRESS, N.I.T. FARIDABAD AND E-PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2016 www.dop.nic.in